



विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-6

अगस्त-2026



स्वतंत्रता दिवस समारोह

बिहार इज ऑफ डूइंग
बिजनेस विधेयक, 2026

बिहार में औद्योगिकीकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और
साइबर सुरक्षा

बिहार विधान सभा सचिवालय



बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय राज्यपाल, बिहार लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) श्री सैयद अता हसनैन एवं माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा



बिहार विधान सभा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर गया जी जिला से आए छात्रों के साथ माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

प्रेरक प्रसून

देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है



डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा लोकतंत्र का वह मंच है, जहां जनता की आकांक्षाएं कानून और नीतियों का रूप लेती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत बनाते हुए हम ऐसा बिहार बनाएं, जहां विकास के साथ संस्कार हों, तकनीक के साथ सुरक्षा हो, उद्योग के साथ रोजगार हो और हर नागरिक के मन में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना हो।

आज जब बिहार विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, तब हमें आर्थिक प्रगति के साथ सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक समरसता और नैतिक सार्वजनिक जीवन को भी समान महत्व देना होगा। हमारे सामने विकास के नए अवसर हैं। राज्य में उद्योग लगाने, रोजगार बढ़ाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। बिहार का औद्योगिकीकरण हमारे भविष्य की एक बड़ी जरूरत है। व्यापार और उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाएं जितनी सरल और पारदर्शी होंगी, निवेश का वातावरण उतना ही बेहतर होगा। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को रोजगार और उद्यम के अवसरों के रूप में मिल सकता है। बिहार विधान सभा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि कानून निर्माण और लोकतांत्रिक विमर्श के माध्यम से बिहार एक ऐसा प्रदेश बने, जो औद्योगिक रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से सुरक्षित, आपदा के प्रति सजग और लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ हो।

स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के पुनर्स्मरण का अवसर भी है। 15 अगस्त, 2026 को बिहार विधान सभा में आयोजित देशभक्ति कार्यक्रम लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम, संवैधानिक चेतना और सार्वजनिक जीवन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करते हैं।

देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है। हम जहां हैं, वहीं से बिहार और भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना है, वर्तमान की चुनौतियों को समझना है और भविष्य के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ना है।

(डॉ० प्रेम कुमार)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा



संजय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

सम्पादकीय

स्वतंत्रता का महीना अगस्त, हर वर्ष हमें उस यात्रा की याद दिलाता है जो त्याग, संघर्ष और आत्मविश्वास से होकर गुजरी है। इस वर्ष भी बिहार विधान सभा में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरी गरिमा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ, परंतु इस बार के समारोह की एक विशेष पहचान रही – बिहार विधान सभा सचिवालय की महिला कर्मियों के बीच आयोजित सामूहिक गायन प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता इस बात का भी परिचायक है कि विधान सभा सचिवालय केवल विधायी कार्यों तक सीमित संस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हर कर्मी को अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

स्वतंत्रता का उत्सव जब सुशासन की दिशा से जुड़ता है, तो उसका अर्थ और गहरा हो जाता है। इसी भावना के अनुरूप, इस अंक में हमने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 पर एक विस्तृत आलेख सम्मिलित किया है, जो राज्य में व्यवसाय और उद्यमिता को नई गति देने वाले नियामक सुधारों की चर्चा करता है। “पहले अनुमति, फिर कार्य” की पुरानी सोच से आगे बढ़कर “विश्वास पहले, प्रमाण बाद में” की दिशा में बढ़ता यह विधेयक बिहार को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प का एक ठोस कदम है। इसी क्रम में बिहार के औद्योगीकरण की संभावनाओं और चुनौतियों पर भी एक सारगर्भित आलेख इस अंक की शोभा बढ़ाता है, जो बताता है कि किस प्रकार निवेश, अवसंरचना और नीतिगत स्पष्टता मिलकर राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ, अग्नि सुरक्षा तथा बिहार की खेल नीति पर आधारित आलेख इस अंक को समसामयिक बनाता है।

कोसी और महानंदा नदियों के मध्य बसा, उर्वर जलोढ़ मिट्टी और सीमांचल की समृद्ध कृषि परंपरा – विशेषकर मखाना और जूट की खेती के लिए विख्यात पूर्णिया जिले के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वैभव पर आधारित आलेख हमें बिहार की क्षेत्रीय विविधता से परिचित कराता है। इसी क्रम में, पूर्णिया की धरती से आने वाले बिहार विधान सभा के तीसरे अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु (1906-1974) पर केंद्रित आलेख विधान सभा के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराता है। व्यक्ति विशेष की कड़ी में हमने बिहार के अमर सपूत शहीद रामफल मंडल के जीवन एवं योगदान पर केंद्रित आलेख भी इस अंक में शामिल किया है, जिनका योगदान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया था परंतु विगत वर्षों में बिहार सरकार के प्रयासों से उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को पुनर्जीवित किया गया है।

“विधान प्रबोधिनी” का यह अंक स्वतंत्रता की भावना, सुशासन के संकल्प और बिहार की समृद्ध विरासत – तीनों के संगम का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों को बिहार के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य के प्रति गर्व और उत्तरदायित्व की भावना से ओत-प्रोत करेगा। हम अपने सभी पाठकों, रचनाकारों, पत्रिका प्रकाशन शाखा के कर्मियों तथा विधान सभा सचिवालय के उन सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिनके अथक प्रयासों से यह अंक इस स्वरूप में आप तक पहुंच पाया है।

(संजय कुमार सिंह)

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	रचनाकार	पृ.सं.
1.	आमुख		i
2.	सम्पादकीय		ii
3.	विषय सूची		iii
4.	बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026	प्रज्ञाग्नि	1-7
5.	आलेख		
	● बिहार में औद्योगिकीकरण: वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अवसर और चुनौतियाँ	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स.वि.प.	8-11
	● कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा: डिजिटल युग की नई चुनौतियाँ	प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	12-15
	● अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ: रोकथाम, सुधार एवं जन-जागरूकता की आवश्यकता	यशपाल शर्मा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	16-18
	● बिहार में खेल नीति : प्रतिभा, प्रोत्साहन और संभावनाएं	रणविजय रोशन, संपादन सलाहकार	19-23
	● अग्नि सुरक्षा में सुधार के उपाय	विलोक रंजन	24
	● सकारात्मक पहल	सुशील कुमार	25
6.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	अमर कुमार झा	26-33
7.	जिला विशेष-पूर्णिया	धनंजय कुमार	34-42
8.	व्यक्ति विशेष : लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु'	मनमीत कुमार	43-48
9.	रामफल मंडल: एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी	मनीष कुमार पंकज	49-51
10.	समाचार पत्रों की नजर से...		52-53
11.	विविध कार्यक्रम		
	● जन्म दिवस पर अनोखी पहल	नन्द किशोर सिंह	54-55
	● आत्मनिर्भर बेटियाँ	आनंद शर्मा	56
	● दशरथ मांझी महोत्सव	राकेश कुमार	57
	● अभिनंदन समारोह	केशव किशोर उर्फ राजा पाण्डेय	58
12.	झलक	प्रदीप कुमार राय	59-62
13.	फोटो गैलरी	अनिकेत राज	63-64

विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-6

अगस्त-2026

मुख्य संरक्षक : डॉ० प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

संरक्षक : नरेन्द्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

संपादक मंडल

प्रधान संपादक

संजय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

वरिष्ठ संपादक

राम कुमार यादव

उप सचिव, बिहार विधान सभा

संपादक

प्रज्ञाग्नि

प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

संपादन संयोजक

संदीप कुमार राय

आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

अमर कुमार झा

आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

राजीव रंजन

प्रशाखा पदाधिकारी

अध्यक्षीय कार्यालय, बिहार विधान सभा

संपादन सलाहकार

नन्द किशोर सिंह

संदीप कुमार

रणविजय रोशन

सहायक संपादक

धनंजय कुमार

शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

मनमीत कुमार

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

मनीष कुमार पंकज

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

कला संयोजन

निलेश कुमार

प्रदीप कुमार राय

अनिकेत राज

छायाकार

हरेन्द्र कुमार पाल

ललित नारायण पासवान

अभिजीत राज

संपादकीय कार्यालय

पत्रिका प्रकाशन शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

ईमेल : patrikabvs2021@gmail.com

Mob. : 9740400166

प्रकाशक : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

‘विधान प्रबोधनी’ पत्रिका के प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों/संस्थाओं के स्वयं के हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की इसमें सहमति आवश्यक नहीं है।

‘विधान प्रबोधनी’ पत्रिका के संबंध में पाठकगण का विचार एवं सुझाव पत्र तथा ई-मेल के माध्यम से सादर आमंत्रित हैं।

मुद्रक: यूनाईटेड प्रिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोभाइडर

संदलपुर रोड, नियर संदलपुर अखाड़ा, पटना-6, मो.-9334116542

विधायी विश्लेषण

प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा



बिहार में व्यावसायिक सुगमता का नया ढांचा

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

6 मार्गदर्शक सिद्धांत

अपवाद द्वारा अनुज्ञा
(Permission by Exception)

एक राज्य सिद्धान्त
(One State Principle)

आनुपातिकता एवं जोखिम-
आधारित विनियमन
(Proportionality and
Risk-based Regulation)

निर्भरता एवं निश्चितता
(Reliance and Certainty)

पारदर्शिता एवं पूर्वानुमेयता
(Transparency and Predictability)

समय की अवधि व्यतीत होने
पर अनुदान की उपधारणा
(Presumption of Grant on Lapse of Time)

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 राज्य में व्यापार और सरकार के बीच के रिश्ते में आमूल-चूल बदलाव लाने की कोशिश करता है। यह पूर्व से चली आ रही जटिल लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाता है और “Permission by Exception” की कार्य संस्कृति को राज्य में प्रतिष्ठापित करता है। इस आलेख में हम इस विधेयक के उद्देश्य, इसके चार-स्तरीय ढांचे (Four - Tier Structure)- व्यवसाय सुगमता परिषद,

कार्यकारिणी समिति, सचिवालय (इन्वेस्ट बिहार) और जिला सशक्त समिति तथा इसके मुख्य उपकरण जैसे आशय की घोषणा (Declaration of Intent), भावी अनुमोदन प्रमाणपत्र (Certificate of In-principle Approval-CIPA), मानित अनुमोदन (Deemed Approval), एकल खिड़की प्रणाली और स्वतः चालित अपील प्रणाली (Auto Appeal System) को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे।

पृष्ठभूमि

अठारहवीं बिहार विधान सभा के मानसून सत्र में लाया गया यह विधेयक केवल कागजी कार्रवाई कम करने की कोशिश नहीं है बल्कि व्यवसाय के प्रति सोच को बदलने की कोशिश है। इस विधेयक का आधार है कि कोई भी वैध व्यवसाय या वृत्ति (occupation) डिफॉल्ट रूप से अनुज्ञात (Permitted by default) मानी जाएगी, और अगर सरकार को उस पर कोई रोक लगानी है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, उद्यमी की नहीं। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन, निवेश तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास का जरिया बनकर वर्ष 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का है।

विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि अत्यधिक दस्तावेजीकरण, दोहरे अनुमोदन, विवेकाधीन देरी और अनिश्चित प्रक्रियाएं उद्यम पर वास्तविक बोझ डालती हैं, रोजगार को हतोत्साहित करती हैं और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कमजोर करती हैं। इसलिए इस विधेयक का उद्देश्य है कि नियामक शक्ति का प्रयोग पारदर्शी, पूर्वानुमेय, समयबद्ध और उत्तरदायी तरीके से हो। पूरा विधेयक सोलह अध्यायों और पैंतालीस धाराओं में बंटा है, साथ ही, सात अनुसूचियां इसे व्यावहारिक रूप देती हैं – जैसे सक्षम प्राधिकारियों की सूची, नकारात्मक सूची, अग्नि सुरक्षा अनुपालन की श्रेणियां तथा दोहरी अनुज्ञप्तियों को खत्म करने का मैट्रिक्स।

मार्गदर्शक सिद्धांत

विधेयक की धारा 3 में छह मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, जो केवल सलाह नहीं बल्कि हर फैसले पर बाध्यकारी नियम हैं। धारा 4 के अनुसार, कोई भी सक्षम

प्राधिकारी जब किसी अनुमोदन को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, शिथिल करे या रोके, तो उसे लिखित रूप में यह बताना होगा कि उसका फैसला इन छह सिद्धांतों के अनुरूप है।

- **अपवाद द्वारा अनुज्ञा**

कोई भी उद्यम तब तक कोई भी गतिविधि कर सकता है जब तक कानून साफ तौर पर उसे मना न करे। बिना किसी ठोस सार्वजनिक हित के कोई नई रोक नहीं लगाई जाएगी।

- **एक राज्य सिद्धांत**

पूरी राज्य सरकार अनुपालन के मामले में एक ही इकाई की तरह काम करेगी – कोई भी विभाग वह जानकारी दोबारा नहीं मांगेगा जो किसी अन्य विभाग के पास पहले से मौजूद है।

- **आनुपातिकता और जोखिम-आधारित नियमन**

जांच, निरीक्षण और कार्रवाई की तीव्रता उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी गतिविधि से पैदा होने वाले असली जोखिम को संभालने के लिए जरूरी है – उससे ज्यादा नहीं।

- **निर्भरता और निश्चितता**

अगर सरकार ने कोई अनुमोदन या प्रमाणपत्र दिया है, तो उद्यम उस पर भरोसा कर सकता है और उसे उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता – जब तक कि वह अनुमोदन धोखाधड़ी से हासिल न किया गया हो।

- **पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता**

हर नियम, हर फीस, हर समय-सीमा पहले से सार्वजनिक होनी चाहिए। जो बात पहले से बताई न गई हो या प्रकाशित नहीं है, वह किसी उद्यम पर लागू नहीं की जा सकती।

● समय बीतने पर अनुमोदन की उपधारणा

अगर तय समय के भीतर किसी आवेदन पर फैसला नहीं होता है तो उद्यम को अधिकार के रूप में वह अनुमोदन मिला हुआ माना जाएगा - चुप्पी या देरी का नुकसान उद्यम को नहीं उठाना पड़ेगा।

“...अनुज्ञप्ति - आधारित नियंत्रण को नियम-आधारित शासन से प्रतिस्थापित करने के लिए यह प्रतिपादित करते हुए कि वैध उद्यम और वृत्ति (occupation) डिफॉल्ट रूप से अनुज्ञात हैं; ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करते समय औचित्य सिद्ध करने का भार राज्य पर डालते हुए कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाए, यह अधिनियम अधिनियमित किया जाता है...”

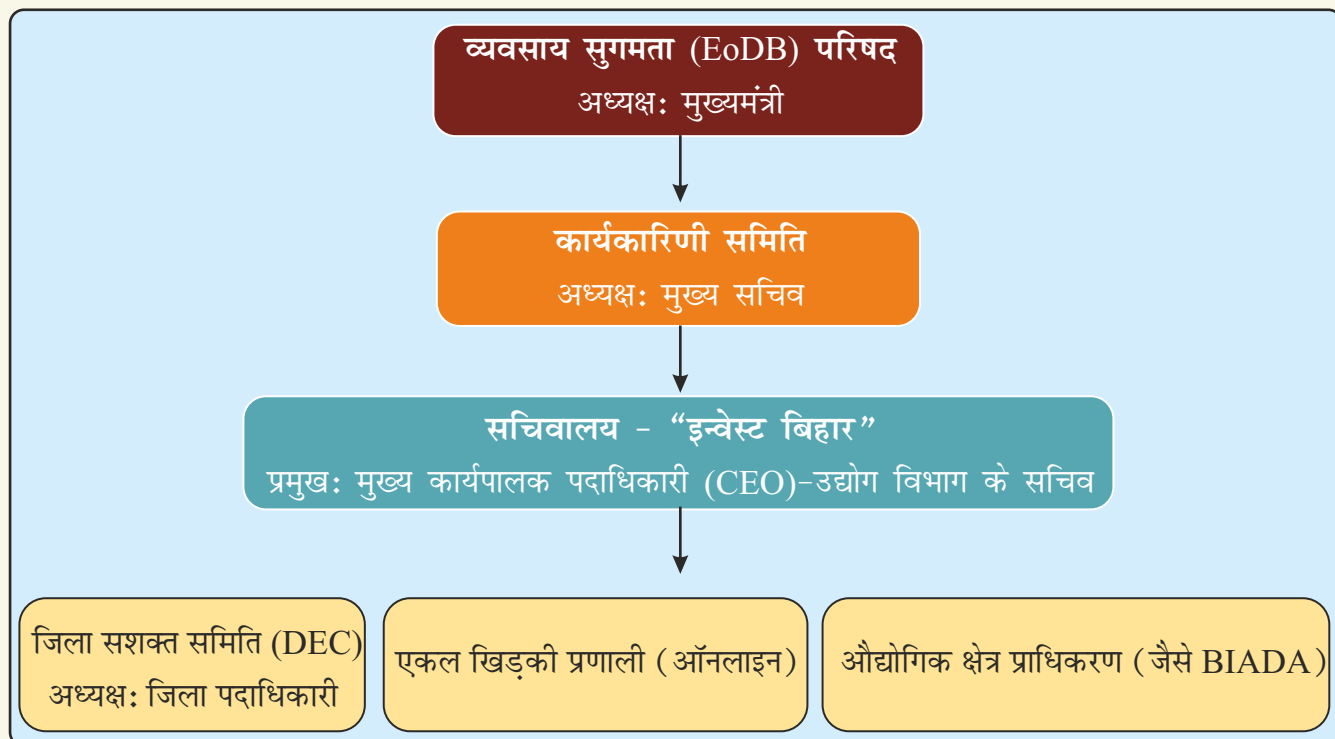
- प्रस्तावना, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

सरल भाषा में कहें तो: पहले उद्यमी को यह साबित करना पड़ता था कि उसे काम करने की इजाजत है; अब सरकार को यह साबित करना होगा कि किसी काम पर रोक क्यों जरूरी है। और अगर सरकार तय समय में जवाब नहीं देती, तो चुप्पी का मतलब “हां” माना जाएगा, “ना” नहीं।

संस्थागत ढांचा

विधेयक चार स्तरों में काम करने वाला एक ढांचा बनाता है। सबसे ऊपर व्यवसाय सुगमता (EoDB) परिषद है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं। इसके नीचे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति है। तीसरे स्तर पर सचिवालय है, जिसे “इन्वेस्ट बिहार” नाम दिया गया है। सबसे नीचे, हर जिले में जिला सशक्त समिति (DEC) होगी।

कार्यकारिणी समिति में चौदह से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो “एक राज्य



बिहार EoDB विधेयक के अंतर्गत चार-स्तरीय संस्थागत ढांचा - परिषद से लेकर जिला स्तर तक नीति का प्रवाह।

सिद्धांत” को व्यवहार में लाने की कोशिश दिखाता है, भले ही इससे समिति का आकार काफी बड़ा हो जाता है।

आशय की घोषणा (DoI), CIPA और मानित अनुमोदन

अध्याय VII इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके तहत किसी उद्यम को स्थापित करने हेतु दो-चरण वाली प्रक्रिया बनाई गई है। पहले चरण में उद्यमी स्वयं “आशय की घोषणा” (Declaration of Intent) फाइल करता है। दूसरे चरण में, DEC द्वारा उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर “भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र” (CIPA) दे दिया जाता है – यह प्रमाणपत्र तीन साल के लिए वैध रहता है, और इस दौरान (कुछ खास मामलों को छोड़कर) उद्यम को किसी भी प्रकार के निरीक्षण से मुक्ति मिल जाती है।

भावी अनुमोदन प्रमाणपत्र (CIPA) जारी करने की समय-सीमा (धारा 20(13))

उद्यम श्रेणी	अधिकतम समय-सीमा
सूक्ष्म उद्यम	5 कार्य दिवस
लघु उद्यम	10 कार्य दिवस
मध्यम/वृहत उद्यम	15 कार्य दिवस

यहां कुछ बातें खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। पहली, CIPA लेना अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक है। दूसरी, अगर तय समय में CIPA जारी नहीं हुआ, तो यह अपने आप जारी माना जाएगा – पर शर्त यह है कि आवेदन हर तरह से पूर्ण होना चाहिए। तीसरी, अगर बाद में पता चले कि आवेदक ने किसी विभाग के नियम का उल्लंघन किया है, तो CIPA शुरू से ही (ab initio) रद्द माना

जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात – पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, आर्द्रभूमि, प्रदूषण नियंत्रण, संकटपूर्ण पदार्थ, अग्नि सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य और श्रम कल्याण से जुड़े अनुमोदनों पर यह मानित अनुमोदन वाला नियम लागू नहीं होता, जब तक संबंधित कानून खुद इसकी इजाजत न दे।

भूमि उपयोग और नकारात्मक सूची पद्धति

अध्याय V में भूमि उपयोग को समझने का तरीका पूर्णतः बदल दिया गया है। आम तौर पर कानून यह बताते हैं कि किसी क्षेत्र में क्या-क्या करने की इजाजत है (सकारात्मक सूची)। लेकिन यह विधेयक प्रावधान करता है कि कोई भी उद्यम किसी भी जगह कोई भी गतिविधि कर सकता है, जब तक कि अनुसूची II की नकारात्मक सूची में उसे साफ तौर पर मना न किया गया हो। खास बात यह है कि अधिसूचित औद्योगिक उपयोग क्षेत्रों के लिए कोई नकारात्मक सूची ही नहीं है – वे अपने खुद के मानकों द्वारा शासित होंगे।

नकारात्मक सूची (अनुसूची II)

की झलक

भूमि उपयोग क्षेत्र	मना की गई प्रमुख गतिविधियां
आवासीय क्षेत्र	नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योग; नामित क्षेत्रों के बाहर दाह- संस्कार/दफन भूमि; भारी वाहनों की कार्यशालाएं; थोक शीत भंडारण
वाणिज्यिक क्षेत्र	नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योग; संक्रामक जैविक पदार्थों वाली अनुसंधान प्रयोगशालाएं; दाह-संस्कार भूमि
परिवहन क्षेत्र	सूचीबद्ध गतिविधियों को छोड़कर नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र	कोई नकारात्मक सूची नहीं - अपने स्वयं के मानकों से शासित
लोक/अर्द्ध-लोक संस्थागत	नारंगी/लाल श्रेणी के उद्योग; पशु-आधारित वाणिज्यिक फार्म; बिना सीमांकन के दाह-संस्कार भूमि
जल-निकाय उपयोग	कियोस्क/कैफेटेरिया/ शौचालय को छोड़कर सभी स्थायी संरचनाएं
प्रतिबंधित उपयोग	संबंधित प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी उद्यम

अध्याय IX स्पष्ट करता है कि यह विधेयक वन भूमि, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, आर्द्रभूमियों या किसी अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील भूमि पर लागू पाबंदियों को नहीं हटाता, और न ही यह किसी प्राधिकारी को भूमि के स्वत्व (title), सीमा (ceiling) या दाखिल-खारिज (mutation) जैसे विवादों में फैसला लेने का अधिकार देता है। यानी नकारात्मक सूची केवल इतना बदलाव करती है कि “चुप्पी” का मतलब अब “इजाजत” होगा - पर यह पर्यावरण और भूमि-अधिकार से जुड़े विषयों पर लागू नहीं होगा।

जोखिम-आधारित अग्नि सुरक्षा अनुपालन

धारा 16 अग्नि सुरक्षा को जोखिम के हिसाब से दो

हिस्सों में बांटती है। अनुसूची III में आने वाले (यानी अति निम्न या निम्न जोखिम वाले) उद्यमों के लिए स्व-घोषणा या सूचीबद्ध तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण काफी है। लेकिन अनुसूची IV में आने वाले उद्यमों के लिए अग्नि अनापत्ति (NOC) अनिवार्य है।

सरल भाषा में : छोटे और कम-जोखिम वाले उद्यम खुद अपनी सुरक्षा-जिम्मेदारी घोषित कर सकते हैं और तेजी से काम शुरू कर सकते हैं, जबकि अस्पताल, बड़ी आवासीय इमारतें या ऊंची इमारतों जैसी जगहों पर, जहां जान-माल का जोखिम ज्यादा है, वहां अग्नि विभाग की मंजूरी जरूरी बनी रहती है। यह “जितना जोखिम, उतनी जांच” वाली सोच है - न कम, न ज्यादा।

द्विरावृत्ति अनुज्ञप्ति उन्मोचन मैट्रिक्स (Duplicate Licence Dispensation Matrix)

अध्याय XI उस पुरानी समस्या को हल करने की कोशिश करता है जहां एक ही काम के लिए अलग-अलग विभाग अलग-अलग अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) मांगते रहे हैं। धारा 27(3) के अनुसार, अगर किसी उद्यम के पास अनुसूची VII के स्तंभ (1) में सूचीबद्ध कोई मान्यता-प्राप्त पंजीकरण है, तो उसे स्तंभ (2) में सूचीबद्ध दोहरे पंजीकरणों के लिए पर्याप्त माना जाएगा - बशर्ते स्तंभ (3) की शर्तें पूरी हों।

द्विरावृत्ति उन्मोचन मैट्रिक्स (अनुसूची VII, संक्षिप्त)

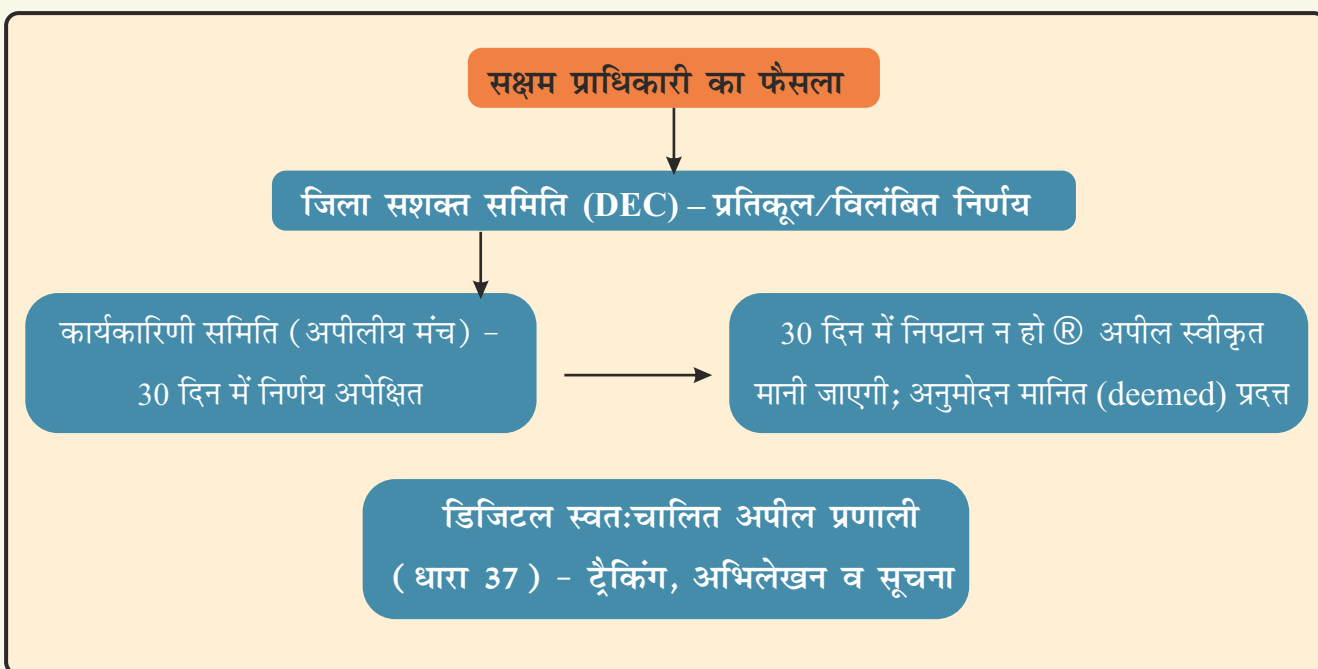
मान्यता-प्राप्त पंजीकरण	हटाई गई दोहरी अपेक्षा	बरकरार शर्तें
FSSAI पंजीकरण/अनुज्ञप्ति	अलग नगर पालिका व्यापार अनुज्ञप्ति, स्वास्थ्य व्यापार अनुज्ञप्ति, होटल अनुज्ञप्ति	भूमि उपयोग, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन
GST पंजीकरण	अलग नगर पालिका व्यापार अनुज्ञप्ति	क्षेत्र-विशिष्ट भूमि उपयोग, अग्नि व भवन अपेक्षाएं

MSMED अधिनियम के तहत उद्यम पंजीकरण श्रम	अलग राज्य/जिला MSME मान्यता प्रमाणपत्र	क्षेत्र-विशिष्ट भूमि उपयोग, अग्नि व भवन अपेक्षाएं
संहिताओं के अंतर्गत पंजीकरण केंद्रीय वृत्तिक निकाय से	अलग राज्य/स्थानीय श्रम अलग राज्य-स्तरीय वृत्तिक	पंजीकरण श्रम, सुरक्षा, अग्नि व भवन अपेक्षाएं
पंजीकरण (ICAI, बार काउंसिल, NMC आदि)	पंजीकरण/सत्यापन	स्वास्थ्य अपेक्षाएं

अध्याय X स्वास्थ्य-देखभाल वृत्तिकों के लिए भी यही तर्क आगे बढ़ाता है - अगर किसी चिकित्सक या नर्स का पंजीकरण भारत के किसी अन्य राज्य या राष्ट्रीय परिषद के पास वैध है, तो उसे बिहार में अलग से पंजीकरण, स्थानांतरण या अनापत्ति की जरूरत नहीं होगी। मतलब - एक बार जांच, हर जगह मान्यता।

जिला सशक्त समिति एवं स्वतः चालित अपील प्रणाली

अगर जिला सशक्त समिति (DEC) का फैसला किसी उद्यम को उचित न लगे, तो वह तीस दिनों के भीतर कार्यकारिणी समिति के पास अपील कर सकता है। कार्यकारिणी समिति को भी तीस दिनों के भीतर फैसला देना होगा - और अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो अपील अपने आप स्वीकृत मान ली जाएगी और मांगा गया अनुमोदन उद्यम के पक्ष में दिया गया माना जाएगा।



दो-स्तरीय अपील ढांचा, जिसमें निपटान न होने पर स्वतः स्वीकृति होती है, और सब कुछ डिजिटल स्वतःचालित उन्नयन प्रणाली से जुड़ा रहता है।

धारा 37 राज्य सरकार को एक डिजिटल स्वतःचालित उन्नयन प्रणाली बनाने के लिए कहती है, जो एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ी हो। यह पुराने कागजी और विवेकाधीन अपील ढांचे से बिल्कुल अलग है - यहां देरी खुद-ब-खुद दिख जाती है और उसका कानूनी नतीजा भी तुरंत तय हो जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र और भूमि स्वामित्व में लचीलापन

अध्याय XIII औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरणों (जैसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण - BIADA) को काफी स्वतंत्रता देता है कि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में विकास नियंत्रण विनियमों को शिथिल कर सकें, भूखंडों का विलय-विसंयोजन (merger/de-merger) कर सकें दीर्घकालिक पट्टे दे सकें, और उद्यमों को अपने संसाधन आपस में साझा करने की अनुमति दे सकें। सबसे उल्लेखनीय प्रावधान यह है कि अगर कोई MSME उद्यम कम से कम दस वर्षों तक और कोई अन्य उद्यम कम से कम पंद्रह वर्षों तक लगातार चालू रहा हो, तो वह अपनी पट्टे वाली भूमि को पूर्णस्वामित्व (फ्रीहोल्ड) में बदलवा सकता है।

यह प्रावधान एक बड़ी व्यावहारिक समस्या हल करता है - पट्टे की भूमि पर बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते, जिससे छोटे उद्योगों के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो

जाता है। फ्रीहोल्ड में बदलने की सुविधा से यह अड़चन दूर होती है।

निष्कर्ष

पिछले एक दशक में कई भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार के “स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान” के तहत अपने-अपने स्तर पर एकल खिड़की और स्व-प्रमाणन जैसे कदम उठाए हैं। इस विधेयक की खासियत यह है कि यह किसी एक सुधार तक सीमित नहीं है - यह आनुपातिकता, मानित अनुमोदन और नकारात्मक सूची जैसी कई उपायों को एक साथ, एक ही कानून के जरिए लागू करता है। इसी अर्थ में यह पिछले बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की जगह लेता है, जिसे अनुसूची VI के तहत निरस्त किया गया है।

इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पारदर्शिता और समयबद्धता जैसी नीति-मानकों को केवल अच्छी मंशा तक सीमित न रखकर, कानूनी अधिकार में बदल देता है। नकारात्मक सूची और द्विरावृत्ति उन्मोचन मैट्रिक्स - दोनों ही भारतीय नियामक व्यवस्था की दो सबसे बड़ी शिकायतों का हल करने की कोशिश करते हैं : अस्पष्टता और दोहराव।

विकसित बिहार

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
सदस्य, बिहार विधान परिषद्



बिहार में औद्योगिकीकरण: वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अवसर और चुनौतियाँ

बिहार की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि आधारित रही है लेकिन हाल के वर्षों में राज्य ने औद्योगिक बदलाव और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के हिस्से में मुख्य रूप से मैदानी कृषि क्षेत्र रह गया था। 2005 के बाद से ही राज्य की एनडीए सरकार “न्यू एज इकोनॉमी” और मजबूत औद्योगिक नीतियों के जरिए बिहार की छवि को एक औद्योगिक गंतव्य के रूप में बदलने का प्रयास कर रही है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद हाल के वर्षों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर दर्ज कर रहा है, जो इसे भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक (लगभग 58%) है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र (द्वितीयक क्षेत्र) का योगदान लगभग 20-21% के आसपास है। इसमें मुख्य हिस्सेदारी विनिर्माण और निर्माण कार्यों की है। राज्य सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए 30 दिवसीय एकल खिड़की मंजूरी नीति लागू की है, ताकि निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिए त्वरित स्वीकृतियाँ मिल सकें। ‘बिहार रोजगार सेतु’ और पीएम सेतु’ जैसी योजनाओं के माध्यम से

युवाओं को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रदान किया जा रहा है। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से लगभग 150 सरकारी ITI को आधुनिक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में अपग्रेड किया गया है। बिहार में कई ऐसे कारक हैं जो इसे विनिर्माण और उद्योगों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बिहार में प्रचुर संभावनाएं हैं। बिहार मखाना, लीची, आम, मक्का और चावल का प्रमुख उत्पादक है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85-90% और लीची का 71% हिस्सा अकेले बिहार से आता है। सीमांचल का क्षेत्र चाय और अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है, जहां सीमित मात्रा में इसकी खेती हो भी रही है। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मखाना, चाय, लीची, अनानास इत्यादि नकदी फसलें हैं। इनकी खेती और प्रोसेसिंग से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ाया जा सकता है। विशाल घरेलू बाजार और रणनीतिक स्थिति भी बिहार को एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित होने में सहायक हो सकती हैं। बिहार की सीमाएं नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगती हैं। यह भौगोलिक स्थिति

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी एशियाई बाजारों तक पहुंच आसान बनाती है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों की निकटता से निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। बिहार में प्रचुर एवं किफायती श्रम शक्ति उपलब्ध है। बिहार भारत के सर्वाधिक युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है। वर्तमान में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, ए.आई. (AI) तकनीक इत्यादि का प्रशिक्षण देकर इस कार्यबल को कुशल बनाया जा रहा है, जिससे उद्योगों को कम लागत पर कुशल मानव बल उपलब्ध हो सके। “बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति” के तहत बिहार देश में एथेनॉल हब के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा और हरित गतिशीलता के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ रहा है। भागलपुर का सिल्क उद्योग, नालंदा की पत्थरकट्टी और सूती वस्त्र उद्योग के साथ-साथ चमड़ा और कला-संस्कृति (जैसे मधुबनी पेंटिंग्स) आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के बड़े अवसर मौजूद हैं।

सकारात्मक बदलावों के बावजूद बिहार को औद्योगिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई

चुनौतियों से पार पाना होगा। बिहार में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता की कमी है। बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। कृषि योग्य भूमि की अधिकता और सघन आबादी के कारण उद्योगों के लिए बड़े, निर्बाध भूखंड का अधिग्रहण करना आज भी एक जटिल कार्य है। औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है। बिहार में बड़े भूखंडों की अनुपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। बिहार में अब तक भूमि सुधार कानूनों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। चकबंदी योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस कारण ‘लैंड बैंक’ की परिकल्पना महज कागजी औपचारिकता बन गई है। समय पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण आधारभूत अवसंरचना से संबंधित कार्य और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे निवेशक अन्य राज्यों का रुख कर लेते हैं। इसी कारण राज्य में एफडीआई (FDI) ना के बराबर होता है। बिहार में खनिज उत्पादन लगभग ना के बराबर है। बिहटा में औद्योगिक क्लस्टर, नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट इत्यादि योजनाएं ससमय भूमि



मखाना उद्योग



सोलर प्लांट, सूर्यगढ़ा



लीची उद्योग



इथेनॉल प्लांट



भागलपुरी सिल्क उद्योग



चमड़ा उद्योग

अधिग्रहण न होने के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा अनेक एक्सप्रेसवे सड़क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, किंतु भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी के कारण धरातल पर निर्माण बहुत सुस्त गति से चल रहा है। यह विडंबना है कि भागलपुर कच्चे रेशम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र होने के बावजूद रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र नहीं बन सका। यहां पर उत्पादित कच्चा माल अन्य राज्यों को भेजा जाता है जहां कार्यरत इकाइयां रेशमी वस्त्र का उत्पादन करती हैं। यदि भागलपुर में ही स्थानीय स्तर पर उत्पादन इकाइयों को क्रियान्वित किया जाए तो इससे बिहार की औद्योगिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारक भी बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। औपनिवेशिक शासन के पूर्व बिहार में कपास की खेती भी प्रचलित थी। बिहार में कपास की खेती मुख्य रूप से भागलपुर, मुंगेर और चंपारण क्षेत्र में होती थी। पटना, भागलपुर एवं गया सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। बिहार में निर्मित सूती वस्त्र एवं मलमल की देश-विदेश में भारी मांग थी। ब्रिटिश काल में बिहार में उत्पादित कपास को मनमाने दर पर खरीद कर इंग्लैंड की मिलों में भेजा जाने लगा, जिसके कारण स्थानीय इकाइयां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ब्रिटिश काल में बिहार शोरा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, किंतु तत्कालीन सरकार की नीतियों की वजह से यह पूरी तरह समाप्त हो गया। बिहार एक लैंडलॉक्ड (स्थल-रूद्ध) राज्य है। बिहार के पास अपना कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। यद्यपि यह राष्ट्रीय जलमार्ग-1 से जुड़ा है, फिर भी माल परिवहन लागत को तटीय राज्यों के स्तर पर लाना एक चुनौती है। वर्तमान में बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद राज्य में केवल एक ड्राई पोर्ट

बिहटा में और दो लैंड पोर्ट है, जो रक्सौल और जोगबनी में अवस्थित है। बिहार जैसे बड़े राज्य में कम से कम दो से तीन और ड्राई पोर्ट अथवा लैंड पोर्ट की आवश्यकता है ताकि राज्य में उत्पादित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। 2000 से पूर्व राज्य में खनिज उत्पादन के अनेक केंद्र होने के बावजूद केंद्र सरकार की फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के कारण बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा ही रहा। यहाँ के कच्चे माल का उपयोग कर दक्षिण एवं पश्चिम के राज्य समृद्ध हो गए।

पूंजी निवेश के अवसर बहुत सीमित रहे हैं। अतीत की कुछ नकारात्मक धारणाओं जैसे कानून-व्यवस्था और नौकरशाही की सुस्ती तथा जड़ मानसिकता के कारण बड़े निजी कॉर्पोरेट घराने अब भी भारी निवेश करने में हिचकिचाते हैं, हालांकि हालिया सुधारों से इस धारणा में कमी आई है। वर्ष 2000 में बिहार में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की कुल संख्या लगभग एक लाख थी जो कि वर्तमान में वर्ष 2026 में लगभग तैतालिस लाख हो गई है, किन्तु इनमें से अधिकांश सूक्ष्म और लघु इकाइयां वैसी हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा अथवा एक या दो हेल्परों की सहायता से संचालित की जाती हैं। राज्य की बड़ी आबादी एवं बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए यह संख्या पर्याप्त नहीं है। मध्यम श्रेणी के उद्यमों की संख्या बहुत कम है। मध्यम और वृहत श्रेणी के उद्यमों की संख्या बढ़ाए बिना औद्योगिकीकरण की दर में वृद्धि संभव नहीं है। प्रचुर श्रम बल होने के बावजूद, उच्च-स्तरीय विनिर्माण और तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल की अभी भी कमी है, जिसके कारण राज्य से प्रतिभाओं का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा फतुहां में खेलकूद सामग्री एवं उपकरण, ऑटोरिक्षा, ट्रैक्टर इत्यादि की विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई थीं

जो 90 के दशक आते आते लचर कानून व्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना की कमी एवम् प्रशासनिक उदासीनता के कारण बंद हो गई। इन्हें पुनर्जीवित करने हेतु ठोस पहल करने की जरूरत है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में कृषि उपकरणों की भारी मांग है। इस मांग की पूर्ति पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से होती है। इस क्षेत्र में भी बिहार में व्यापक संभावनाएं हैं। रेडिमेड वस्त्र और होजरी उद्योग के लिए किसी विशेष जलवायु और अवस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य इस प्रक्षेत्र में अग्रणी हैं। इन राज्यों का रेडिमेड वस्त्र और होजरी उद्योग बिहार के कुशल श्रमिकों के कारण ही चल रहा है। बड़ी आबादी जनित स्थानीय मांग होने के कारण रेडिमेड वस्त्र और होजरी उद्योग के लिए बिहार में भी भरपूर संभावनाएं हैं।

अपने स्थापना काल से ही बिहार के लोगों में उद्यमशीलता की भावना का अभाव रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा इत्यादि विकसित राज्यों के लोगों में उद्यमशीलता की भावना होने के कारण यहां बेहतर औद्योगिक विकास हुआ है। राज्य की प्रशासनिक मशीनरी भी राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। बिहार का प्रशासनिक तंत्र आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने के बावजूद नए उद्यमियों को सरकार और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। यहां के प्रशासनिक तंत्र की मानसिकता आज भी शोषणकारी है, जिसके कारण नए उद्यमी बिहार में टिक नहीं पाते हैं। फलस्वरूप नई इकाइयां उत्पादन से पूर्व ही बंद हो जाती हैं। राजनीतिक संरक्षण के बगैर यह संभव नहीं है। यदि वास्तव में बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना है तो लालफीताशाही पर कड़ाई से लगाम लगानी होगी, जो कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बगैर संभव नहीं है।

क्षेत्रीय असंतुलन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बिहार के भीतर भी औद्योगिक विकास समान नहीं है। अधिकांश निवेश और औद्योगिक इकाइयां पटना, बेगूसराय, नालंदा, गया जी या मुजफ्फरपुर जैसे चुनिंदा जिलों तक ही सीमित हैं, जबकि उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और दक्षिण बिहार का हिस्सा सूखे के कारण औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अतः उद्योग धंधों के विकेंद्रीकरण के वगैर बिहार में औद्योगिकीकरण सुदृढ़ नहीं हो सकता है। बिहार में साख जमा अनुपात बहुत खराब है। यहां के बैंकों में जमा राशि को अन्य राज्यों में ऋण के रूप में बांट दिया जाता है। बैंकों का उदासीन रवैया भी बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारक है। विशेषकर स्थानीय उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने में बैंक बहुत आना-कानी करते हैं। विगत दो दशकों से बिहार सरकार द्वारा बार-बार इस मुद्दे को प्रमुखता से विविध समन्वयकारी मंचों पर उठाया जाता रहा है, किंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। केंद्र के हस्तक्षेप के बगैर इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बिहार में औद्योगिकीकरण का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य अपनी प्रचुर जनशक्ति और कृषि संपदा का कितनी कुशलता से उपयोग करता है। ढांचागत सुधारों जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण, समर्पित औद्योगिक पार्कों की स्थापना और बिजली की निर्बाध आपूर्ति ने एक ठोस आधार तैयार किया है। आगामी समय में पूंजी-गहन भारी उद्योगों के बजाय श्रम-गहन उद्योगों जैसे कपड़ा, जूता-चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता देकर बिहार न केवल अपनी जीडीपी (GDP) को बढ़ा सकता है, बल्कि पलायन की समस्या को रोककर स्थानीय स्तर पर लाखों रोजगार भी पैदा कर सकता है।

तकनीकी विकास

प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा



कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा: डिजिटल युग की नई चुनौतियाँ

21वीं सदी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और विभिन्न ई-गवर्नेंस योजनायें देश को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के पास विशाल मानव संसाधन और नवाचार क्षमता उपलब्ध है।

आज जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग, शासन, संचार और मनोरंजन डिजिटल तकनीकों पर आधारित है। इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर तकनीक हैं, जिन्होंने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, तेज और प्रभावी बनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनें और कंप्यूटर मानव बुद्धि की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनते हैं। उत्पादकता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका निर्विवाद है, जो आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला तैयार कर रही है। हालांकि, ए. आई. (AI) की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, कौशल-अंतर को दूर करना तथा डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर तकनीकी से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ भी अछूती नहीं हैं। भारतीय राजनीतिक अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रतिमान परिवर्तन का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। भारतीय लोकतंत्र का हृदय कही जाने वाली विधान सभाएँ अब पारंपरिक कागजी कार्यप्रणाली से बाहर निकलकर 'ई-विधान' और डिजिटल गवर्नेंस को अपना रही हैं। इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधायी प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और तीव्र बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

विधायी कामकाज की जटिलता और विशालता को देखते हुए ए.आई. का प्रवेश किसी वरदान से कम नहीं है। हाल के वर्षों में ई-विधान और डिजिटल सचिवालय जैसे नवाचारों ने न केवल विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को बदला है बल्कि लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी को भी सुदृढ़ किया है। पारंपरिक विधायी प्रणाली में कागज आधारित प्रक्रियाओं के कारण विलंब, सूचनाओं के प्रबंधन में जटिलता, अभिलेखों के संरक्षण में कठिनाई तथा नागरिकों की सीमित प्रत्यक्ष पहुँच जैसी

समस्याएँ लंबे समय तक विद्यमान रहीं। प्रशासनिक दृष्टि से यह न केवल कुशलता में बाधक थी, बल्कि उत्तरदायित्व निर्धारण को भी कठिन बनाती थी।

इन्हीं चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से देश के सभी विधान मण्डलों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 'डिजिटल इंडिया' के अन्तर्गत एक मिशन मोड में 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' का निर्माण किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटल बनाया जाए। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, के लिए गौरव का विषय है कि वह भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ अपनी विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में भी अग्रणी रही है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने पूरे देश में संसदीय कार्यप्रणाली में उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण विधान सभा में तकनीक का प्रयोग करके अपना कार्य सम्पादित करते हैं।

विधायी संस्थाएं आधुनिक तकनीकों से युक्त होकर जनहित के कार्यों का निष्पादन कर रही हैं। आज संचार के माध्यम से सभी विधान मण्डल एक-दूसरे के निकट आ गए हैं, जिससे सभी एक-दूसरे के कार्यकलापों से अवगत हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि और जनता के पारस्परिक सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। जिससे इनकी कार्य-प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकी दक्षता का विकास हो रहा है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में विधान सभाओं में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण दिए जाते हैं। ए.आई.

-संचालित उपकरण (जैसे 'भाषिणी' मॉडल) विधायकों के भाषणों का रियल-टाइम में अनुवाद और सटीक लिखित सदन की कार्यवाही का संकलन करने में सक्षम हैं।

किसी भी नए कानून या विधेयक के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने में ए.आई. सहायक की भूमिका निभाता है। यह पुराने कानूनों, न्यायिक फैसलों और डेटा का विश्लेषण कर जनप्रतिनिधियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

प्रत्येक सत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा हजारों प्रश्न पूछे जाते हैं। एआई इन प्रश्नों को विभागों के अनुसार स्वचालित रूप से वर्गीकृत कर सकता है और संबंधित ऐतिहासिक डेटा के आधार पर संभावित उत्तरों का ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय पर किसी सदस्य द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों में प्रतिभाग करने के दौरान दिया गया वक्तव्य तथा उठाए गए मुद्दों, विचारों के संबंध में समस्त सूचना एक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कराई जा सकती है। जब सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, तब प्रश्न-उत्तर और विधेयक सार्वजनिक डिजिटल मंचों पर उपलब्ध होते हैं, और प्रत्येक विधायी कदम का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है तो यह व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की नैतिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक जवाबदेही को सुदृढ़ करती है। डिजिटल विधायी मंचों के माध्यम से नागरिकों की सूचना तक सरल पहुँच, विधायी प्रक्रिया की निगरानी तथा लोकतांत्रिक जागरूकता का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को अधिक खुला, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाती है।

यदि हम भविष्य की ओर देखें, तो यह स्पष्ट है

कि भारतीय राजनीति में एआई (AI) की भूमिका निरंतर विकसित होती रहेगी। मतदाता भावनाओं के विश्लेषण से लेकर लोकतांत्रिक सहभागिता को और गहरा करने तक, इसके संभावित उपयोग अत्यंत व्यापक हैं। तथापि, यह आवश्यक है कि नीति-निर्माता, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ और नागरिक समाज मिलकर कार्य करें ताकि AI का उपयोग नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तथा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।

भारतीय लोकतंत्र की विशाल संरचना में ए.आई. (AI) एक सशक्त धागे के रूप में उभर रहा है, जो डेटा और एल्गोरिदम से बुना गया है। उचित नियंत्रण एवं संतुलन के साथ, इसमें राजनीतिक अभियानों की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की अपार क्षमता है।

हालाँकि, बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करना भी आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना समय की मांग है। सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने, डेटा संरक्षण कानूनों को प्रभावी बनाने और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है।

साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) की चुनौतियाँ:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से जहाँ अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं इसके साथ कई नैतिक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इन चुनौतियों में डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, एल्गोरिदम पक्षपात तथा

राजनीतिक हेरफेर में इसके दुरुपयोग की संभावना शामिल है। राजनीतिक संदर्भों में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक है।

एडवांस्ड साइबर हमले- हैकर्स अब ए.आई. (AI) का उपयोग करके बेहद चालाकी से भरे फिशिंग ईमेल और मैलवेयर तैयार कर रहे हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है।

भ्रामक जानकारी और डीपफेक:- ए.आई. की मदद से नकली वीडियो, ऑडियो और झूठी खबरें बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जिससे वित्तीय और सामाजिक नुकसान हो रहा है।

डेटा गोपनीयता (Privacy)- ए.आई. सिस्टम को सिखाने के लिए भारी मात्रा में पर्सनल डेटा की जरूरत होती है। अगर यह डेटा लीक हो जाए, तो गोपनीयता का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है।

स्वचालित हमले (Automated Attacks)- ए.आई. के कारण साइबर हमले अब बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किए जा सकते हैं।

नियामक उपाय

इन नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग को नियंत्रित करने वाले मजबूत नियामक ढाँचे स्थापित करना आवश्यक है। इन ढाँचों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए

इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं-

1. साइबर जागरूकता बढ़ाना ताकि नागरिक ऑनलाइन

धोखाधड़ी से बच सकें।

2. मजबूत डेटा सुरक्षा कानून लागू करना।

3. ए.आई. (AI) के नैतिक उपयोग हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करना।

4. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और कौशल विकास बढ़ाना।

5. सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

6. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों के विरुद्ध समन्वित प्रयास करना।

पारदर्शिता और जवाबदेही

इसके अतिरिक्त ए.आई. (AI) का उपयोग करने वाली राजनीतिक संस्थाओं को अपने डेटा संग्रहण और उपयोग की प्रक्रियाओं के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।

ए.आई. (AI) के अनैतिक उपयोग के लिए राजनीतिक संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि स्वतंत्र निगरानी निकायों की स्थापना और नियमों के उल्लंघन पर स्पष्ट दंड निर्धारित करना।

नई-नई तकनीकों और अनुप्रयोगों के तेजी से विकसित होने के कारण जनप्रतिनिधियों को नवाचार और प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा डिजिटल युग

के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ए.आई. (AI) मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक और उन्नत बना रहा है, जबकि साइबर सुरक्षा इस प्रगति को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। यद्यपि इन तकनीकों के साथ अनेक चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं, परंतु उचित नीतियों, जागरूकता, नैतिक उपयोग और मजबूत सुरक्षा उपायों के माध्यम से इनका प्रभावी समाधान किया जा सकता है। यदि हम तकनीकी नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर सकें, तो डिजिटल युग का भविष्य अधिक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध बन सकता है। डिजिटल युग में विधान सभाओं का आधुनिकीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश समय की मांग है। यह शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाता है। लेकिन लोकतंत्र की इस नई डिजिटल इमारत को साइबर अपराधियों के मंसूबों से बचाना भी उतना ही आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के इस अंतर्संबंध को समझते हुए हमें यह याद रखना होगा कि डिजिटल विधान सभा केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की संप्रभुता का प्रतीक भी है। यदि हम सुरक्षा को ताक पर रखकर तकनीक को अपनाएंगे, तो यह लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए घातक होगा। अतः एक सुरक्षित, सतर्क और 'साइबर-प्रतिरोधी' विधायी वातावरण का निर्माण करना आज की तारीख में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट बना रहे।

आपदा प्रबंधन

यशपाल शर्मा

सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा



अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ : रोकथाम, सुधार एवं जन-जागरूकता की आवश्यकता

भारत सहित विश्व के अनेक देशों व प्रदेशों में अग्निकांड की लगातार बढ़ती घटनाएँ चिंता का विषय बनती जा रही हैं। तीव्र शहरीकरण, अनियोजित विकास, जनसंख्या का बढ़ता घनत्व, बहुमंजिला इमारतों का विस्तार, औद्योगिकीकरण, विद्युत उपकरणों का बढ़ता उपयोग तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। अग्निकांड केवल संपत्ति की हानि तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानव जीवन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अवसंरचना तथा सामाजिक सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। प्रत्येक वर्ष देश में हजारों लोग आग की घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं तथा लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः अग्नि सुरक्षा केवल आपदा प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि सुशासन, सतत विकास, शहरी नियोजन और नागरिक उत्तरदायित्व का भी महत्वपूर्ण अंग है। अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ चिंता का विषय हैं। इन्हें रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन, नियमित फायर-ऑडिट और आम जनता में त्वरित बचाव जैसे अग्नि-प्रशमन उपायों के प्रति जागरूकता बेहद अनिवार्य है।

अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं के पीछे अनेक कारण हैं।

सबसे प्रमुख कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग तथा निम्न गुणवत्ता की विद्युत वायरिंग है। अनेक भवनों में पुराने तार, असुरक्षित विद्युत संयोजन तथा अनधिकृत बिजली कनेक्शन आग लगने का प्रमुख कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त रसोई गैस का रिसाव, ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण, रासायनिक उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का अनुचित उपयोग, धूम्रपान में लापरवाही तथा खुली आग का असावधानीपूर्वक प्रयोग भी दुर्घटनाओं को जन्म देता है। गर्मियों में अत्यधिक तापमान, जंगलों में सूखी वनस्पति तथा जलवायु परिवर्तन के कारण वनाग्नि की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है।

अग्निकांड क्यों बढ़ रहे हैं?

शहरी क्षेत्रों में पुराने और जर्जर विद्युत तंत्र, भीड़भाड़ वाले बाजारों में अवैध निर्माण, अग्निशमन उपकरणों की अनुपलब्धता और आपातकालीन निकास मार्गों का अभाव आग की घटनाओं को न्योता देते हैं। दूसरी ओर, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बढ़ता तापमान, लंबे सूखे मौसम, चीड़ जैसी ज्वलनशील वनस्पति और मानवीय लापरवाही—जैसे जलती सिगरेट फेंकना या बिना निगरानी

Fire Extinguisher Chart / अग्निशामक चार्ट						
Extinguisher अग्निशामक		Type of Fire / अग्नि के प्रकार				
Colour कलर	Type प्रकार	Solids (Wood, paper, Cloth, etc) ठोस (लकड़ी, कागज, कपड़ा, आदि)	Flammable Liquids ज्वलनशील द्रव/तरल	Flammable Gases ज्वलनशील गैस	Electrical Equipment विद्युत उपकरण	Cooking oils & Fats खाना पकाने वाला तेल और फैट
	Water पानी	Yes हाँ	No नहीं	No नहीं	No नहीं	No नहीं
	Foam फॉम	Yes हाँ	Yes हाँ	No नहीं	No नहीं	No नहीं
	Dry/ABC Powder ड्राय/एबीसी पावडर	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	No नहीं
	Carbon Dioxide (CO2) कार्बन डाईऑक्साइड	No नहीं	Yes हाँ	No नहीं	Yes हाँ	No नहीं
	Wet Chemical वेट केमिकल	Yes हाँ	No नहीं	No नहीं	No नहीं	Yes हाँ

के आग जलाना-वनाग्नि को भड़काते हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अनियमित बारिश और बर्फबारी के कारण वन क्षेत्र पहले से कहीं अधिक शुष्क हो चले हैं।

हिमाचल प्रदेश: पहाड़ों पर मंडराता खतरा

हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के लिए वनाग्नि हर वर्ष एक बड़ी परीक्षा बनकर आती है। राज्य के लगभग 66 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं, जिनमें चीड़ के जंगल आग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। वन विभाग के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के फायर सीजन में राज्य में लगभग ढाई हजार वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जिनसे करीब तीस हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ और लगभग ग्यारह करोड़ रुपये की क्षति हुई। वर्ष 2026 के सीजन में भी मंडी, धर्मशाला, शिमला, सोलन और कसौली जैसे क्षेत्रों में

सैकड़ों घटनाएँ सामने आईं और कसौली में आग की लपटें वायुसेना स्टेशन के इतने नजदीक पहुँच गई कि सेना और हेलीकॉप्टरों को राहत कार्य में उतारना पड़ा। राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने जन-भागीदारी को केंद्र में रखकर कई पहलें शुरू की हैं। रैपिड रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती, फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से वन मित्रों और पंचायत प्रतिनिधियों को तुरंत सतर्क करना, ड्रोन से निगरानी, और टोल-फ्री नंबर 1077 व 1070 पर सीधी सूचना देने की सुविधा-इन सभी उपायों ने घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद की है। कई वन प्रहरियों ने स्कूलों को गोद

लेकर बच्चों को वनाग्नि रोकथाम की शिक्षा देना शुरू किया है, जो दर्शाता है कि तकनीक और जन-जागरूकता का संयोजन ही सबसे प्रभावी समाधान है।

शहरी अग्निकांड: एक अनदेखा खतरा

शहरों में घनी आबादी, संकरी गलियाँ, पुराने बाजार और ऊँची इमारतें अग्निकांड के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। अस्पतालों, स्कूलों और औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने पर एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। ऐसी घटनाएँ यह याद दिलाती हैं कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, उनका सख्ती से पालन और नियमित निरीक्षण भी उतना ही जरूरी है।

भारत सरकार के प्रयास एवं समाधान

अग्निकांड की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें

कई स्तरों पर कार्य कर रही हैं:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देश सभी भवनों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर लागू किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (National Building Code) में अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास और भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को अनिवार्य बनाया गया है।
- केंद्र प्रायोजित 'वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना' के तहत राज्यों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाती है।
- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर अग्निशमन कर्मियों के प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर कार्य करता है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की टोल-फ्री हेल्पलाइनें नागरिकों को तुरंत सूचना देने की सुविधा प्रदान करती हैं।
- उपग्रह आधारित फायर अलर्ट सेवा (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया) और ड्रोन निगरानी से वनाग्नि की शीघ्र पहचान संभव हो रही है।

इन प्रयासों के बावजूद सीमित संसाधन, जनशक्ति की कमी और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके चलते राज्य सरकारें केंद्र से इन योजनाओं का दायरा और बजट बढ़ाने की माँग करती रही हैं। लेकिन कोई भी योजना तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती जब तक आम नागरिक स्वयं जागरूक और सतर्क न हों।

जन-जागरूकता: सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत कड़ी

अग्निकांड को रोकने का सबसे सशक्त हथियार तकनीक नहीं, बल्कि हर नागरिक की जागरूकता और सतर्कता है। नीचे दिए गए बिंदु बताते हैं कि जन-जागरूकता को किस तरह जीवन के हर स्तर पर मजबूत किया जा सकता है:

1. घर और परिवार के स्तर पर

- हर घर में कम से कम एक अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) और स्मोक अलार्म अवश्य रखें।
- बिजली के तारों, स्विच बोर्ड और गैस पाइपलाइन की समय-समय पर जाँच और मरम्मत कराएँ।
- रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग करने के बाद रेगुलेटर बंद करना न भूलें।
- बच्चों और बुजुर्गों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने का तरीका सिखाएँ और घर में एक 'निकासी योजना' तैयार रखें।
- दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी पास रखें और खुले स्थान का ही उपयोग करें।

2. समुदाय और पंचायत स्तर पर

- गाँवों और पंचायतों में नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँ।
- वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों को खेत या घास जलाने से पहले प्रशासन को सूचित करने और उचित सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जाए।
- गाँव स्तर पर स्वयंसेवकों की 'अग्नि सुरक्षा टोली' बनाई जाए, जो शुरुआती आग को तुरंत नियंत्रित करने में सक्षम हो।

खेल नीति

रणविजय रोशन
संपादन सलाहकार

बिहार में खेल नीति प्रतिभा, प्रोत्साहन और संभावनाएं

बिहार को प्रायः ज्ञान, संस्कृति, लोकतंत्र, कृषि और सामाजिक परिवर्तन की धरती के रूप में देखा जाता है। किंतु खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य की प्रतिभा किसी से कम नहीं रही है। बिहार ने देश को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। आवश्यकता केवल इस प्रतिभा को पहचानने, उसे उचित प्रशिक्षण देने और आधुनिक संसाधनों से जोड़ने की रही है।

आज बिहार खेल के क्षेत्र में एक नए संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर लंबे समय से चली आ रही आधारभूत संरचना की कमियां, संसाधनों का अभाव और प्रतिभाओं के पलायन जैसी चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर खेल नीति, खेल विश्वविद्यालय, आधुनिक खेल परिसर, पंचायत स्तर तक खेल क्लब, छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति तथा बड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से एक नई खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। बिहार की खेल यात्रा अब केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि खेल को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, पर्यटन और आर्थिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है।

बिहार की खेल प्रतिभा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, रग्बी, बॉक्सिंग, वुशु और अन्य कई पारंपरिक खेलों में बिहार के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान

बनाई है।

बिहार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद खेल प्रतिभा है। गांवों के मैदानों से निकलकर अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। समस्या प्रतिभा की कमी की नहीं, बल्कि प्रतिभा तक अवसर पहुंचाने की रही है।

लंबे समय तक बिहार में खेलों को शिक्षा और रोजगार के समान महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखने की संस्कृति पर्याप्त मजबूत नहीं थी। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी सीमित संसाधनों के कारण बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते रहे। यही कारण है कि बिहार में खेल प्रतिभा की उपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रदर्शन के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता रहा। लेकिन यह स्थिति अब धीरे-धीरे बदल रही है।

खेल नीति ने बदली दिशा

बिहार में खेल विकास को संस्थागत रूप देने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार के खेल विभाग के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत खेल क्लब, एकलव्य केंद्र और बिहार खेल नीति जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

बिहार की खेल नीति का महत्व इस बात में है कि खेल को अब केवल प्रतियोगिता और मनोरंजन की

गतिविधि न मानकर राज्य के समग्र विकास से जोड़ा जा रहा है। खेल नीति के साथ-साथ खेल विभाग की स्थापना, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण, प्रतिभा पहचान कार्यक्रम और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। बिहार की खेल विकास रूपरेखा में 2022 से 2024 के बीच खेल विभाग, खेल भर्ती नीति, खेल छात्रवृत्ति नीति, पंचायत खेल क्लब नीति और प्रतिभा पहचान जैसी पहलों को प्रमुख मील के पत्थर के रूप में रेखांकित किया गया है।

बिहार खेल विश्वविद्यालय: नई खेल क्रांति की आधारशिला

बिहार के खेल इतिहास में बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर की स्थापना एक दूरगामी कदम

है। बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित यह विश्वविद्यालय 24 फरवरी 2023 से अस्तित्व में आया और इसका परिसर 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उद्घाटित हुआ। विश्वविद्यालय का उद्देश्य खेल विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़कर खेल नेतृत्व एवं प्रतिभाओं को विकसित करना है।

राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का एक ही परिसर में होना बिहार के लिए विशेष अवसर है। इसका लक्ष्य केवल खिलाड़ी तैयार करना नहीं, बल्कि प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिक, फिटनेस विशेषज्ञ, खेल प्रबंधक और खेल प्रशासन के विशेषज्ञ तैयार करना भी होना चाहिए।



यदि बिहार खेल विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाता है तो राजगीर आने वाले वर्षों में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण का राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है।

वर्तमान स्थिति: बदलाव की राह

वर्तमान बिहार में खेल का परिदृश्य पहले की तुलना में काफी सकारात्मक दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2025 में बिहार में आयोजित 'खेलो इंडिया' यूथ गेम्स है।

पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस बड़े आयोजन में 27 पदक स्पर्धाओं और एक प्रदर्शन स्पर्धा को शामिल किया गया तथा 6,000 से अधिक खिलाड़ियों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह बिहार में पहली बार इतने बड़े बहु-खेल आयोजन की मेजबानी थी।

इस आयोजन ने बिहार को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। इससे यह संदेश गया कि बिहार में बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए आवश्यक क्षमता विद्यमान है।

खेलो इंडिया के अंतर्गत बिहार में सभी जिलों में 38 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कबड्डी, वुशु और टेबल टेनिस जैसे खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 939 खिलाड़ी इन केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राष्ट्रीय खेलों में भी बिहार के प्रदर्शन में सुधार के संकेत मिले हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान बिहार ने अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। यह इस बात का संकेत है कि योजनाबद्ध प्रशिक्षण और बेहतर खेल वातावरण का परिणाम आने लगा है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स: बिहार के लिए बड़ा अवसर

2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के खेल

इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला, बल्कि प्रशिक्षकों, रेफरी, तकनीकी अधिकारियों, खेल प्रबंधकों और स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा हुए।

इस आयोजन ने बिहार के खेल पर्यटन की संभावनाओं को भी उजागर किया। राजगीर, गया जी, पटना, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में खेल आयोजन होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल, परिवहन, खान-पान और अन्य सेवाओं को भी लाभ मिला है।

अर्थात् खेल अब केवल मैदान तक सीमित नहीं है। यह रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

बिहार की वर्तमान खेल स्थिति की कुछ चुनौतियाँ:-

उपलब्धियों के बावजूद बिहार को अभी लंबी दूरी तय करनी है। राज्य के सामने सबसे पहली चुनौती खेल आधारभूत संरचना की गुणवत्ता और रखरखाव की है।

कई जिलों और प्रखंडों में मैदान, ट्रैक, इनडोर हॉल, स्विमिंग पूल और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है।

दूसरी बड़ी चुनौती - ग्रामीण प्रतिभा की पहचान

बिहार की बड़ी खेल शक्ति गांवों और छोटे शहरों में है। वहां से प्रतिभाओं को पहचानने के लिए वैज्ञानिक और निरंतर टैलेंट स्काउटिंग व्यवस्था आवश्यक है।

तीसरी चुनौती - प्रशिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता

आधुनिक खेलों में केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस, पोषण, मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक कोचिंग आज खिलाड़ी के प्रदर्शन का अभिन्न हिस्सा हैं।

महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर

बिहार में महिला खेल प्रतिभा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों से लेकर

विश्वविद्यालयों तक लड़कियों को खेल के समान अवसर दिए जाने चाहिए।

महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण केंद्र, महिला प्रशिक्षक, छात्रावास, पोषण सहायता, छात्रवृत्ति और प्रतियोगिता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

यह केवल खेल विकास का प्रश्न नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण का भी प्रश्न है। जिस राज्य की बेटियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर पदक जीतेंगी, उस राज्य की नई पीढ़ी में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भी मजबूत होगी।

भविष्य की संभावनाएं : बिहार बन सकता है स्पोर्टिंग हब

बिहार के सामने आने वाले दशक में खेल क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं।

पहली संभावना - राजगीर को राष्ट्रीय खेल केंद्र के रूप में विकसित करना

बिहार खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी और आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण राजगीर खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

दूसरी संभावना - जिलावार खेल विशेषीकरण

प्रत्येक जिले की प्रतिभा और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ खेलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, रग्बी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग और फुटबॉल में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जा सकते हैं।

तीसरी संभावना - खेल और शिक्षा का एकीकरण

विद्यालयों में खेल को केवल अतिरिक्त गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। खेल प्रतिभाओं के लिए लचीली शिक्षा

व्यवस्था हो ताकि खिलाड़ी प्रशिक्षण और पढ़ाई दोनों जारी रख सकें।

चौथी संभावना - खेल रोजगार का माध्यम

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर, खेल छात्रवृत्ति, प्रशिक्षक के रूप में रोजगार और खेल उद्योग में नई नौकरियां युवाओं को खेल की ओर आकर्षित कर सकती हैं।

पांचवीं संभावना - खेल पर्यटन

राजगीर, नालंदा, बोधगया और पटना जैसे पर्यटन स्थलों को खेल आयोजनों से जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बिहार की वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी।

भविष्य की चुनौतियां

बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वर्तमान गति को निरंतरता कैसे दी जाए।

खेल स्टेडियम बना देना पर्याप्त नहीं है, उनका नियमित रखरखाव, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उपकरणों की उपलब्धता और साल भर प्रतियोगिताओं का आयोजन होना जरूरी है।

दूसरी चुनौती खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की है। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और योग्यता आधारित होनी चाहिए। खिलाड़ी को यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी प्रतिभा और प्रदर्शन ही उसके चयन का आधार बनेगा।

तीसरी चुनौती डोपिंग और अनुशासन से जुड़ी है। खिलाड़ियों को प्रारंभिक स्तर से ही खेल नैतिकता, प्रतिबंधित पदार्थों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देनी होगी।

चौथी चुनौती खेलों का व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। सरकार अकेले खेल का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट,

उद्योग, पूर्व खिलाड़ी, खेल संघ और निजी अकादमियों को भी साझेदार बनाना होगा।

बिहार का अगला खेल रोडमैप-

बिहार को अब “हर पंचायत-खेल मैदान, हर प्रखंड-खेल केंद्र, हर जिला-उत्कृष्टता केंद्र और राज्य स्तर पर विश्वस्तरीय अकादमी” की अवधारणा पर आगे बढ़ना चाहिए।

इसके लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य तय किए जा सकते हैं-

- प्रत्येक पंचायत में उपयोग योग्य खेल मैदान और खेल क्लब।
- प्रत्येक प्रखंड में बहुउद्देश्यीय खेल परिसर।
- प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक आधुनिक उत्कृष्टता केंद्र।
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की डिजिटल प्रतिभा-पंजीकरण प्रणाली।
- खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और स्पोर्ट्स मेडिसिन की सुविधा।
- महिला एवं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष खेल कार्यक्रम।
- विद्यालय स्तर पर वार्षिक जिला एवं राज्य खेल लीग।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर।
- निजी क्षेत्र से खेल प्रायोजन और वित्तीय निवेश को प्रोत्साहन।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की नियमित मेजबानी।

खेल से बनेगा स्वस्थ और विकसित बिहार:-

खेल का महत्व केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है। खेल अनुशासन सिखाता है, नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, टीम भावना पैदा करता है और युवाओं को नशे तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखता है।

आज जब बिहार विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब खेल को विकास की मुख्यधारा में

शामिल करना आवश्यक है। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज और विकसित बिहार की नींव रख सकता है।

बिहार की नई खेल नीति और उससे जुड़े संस्थागत प्रयासों ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी, खेलो इंडिया केंद्र, पंचायत खेल क्लब, छात्रवृत्ति और बड़े खेल आयोजनों ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। लेकिन सफलता का अंतिम पैमाना तभी होगा जब गांव के मैदान से निकला एक प्रतिभाशाली बच्चा बिना किसी आर्थिक या भौगोलिक बाधा के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच सके।

निष्कर्ष: पदक से आगे, खेल संस्कृति का निर्माण

बिहार के खेल का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन यह भविष्य अपने आप नहीं बनेगा। इसके लिए सरकार, समाज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, खेल संघ, उद्योग जगत, प्रशिक्षक, अभिभावक और स्वयं खिलाड़ियों को मिलकर काम करना होगा।

हमें ऐसी खेल संस्कृति बनानी होगी जिसमें खेलना सम्मान की बात हो, खिलाड़ी बनना गर्व की बात हो और खेल में करियर बनाना सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित विकल्प हो।

बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है-प्रतिभा की पहचान, उचित प्रशिक्षण, आधुनिक अधोसंरचना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारदर्शी चयन और निरंतर प्रोत्साहन की।

यदि इन छह स्तंभों को मजबूत किया गया तो बिहार आने वाले वर्षों में केवल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि खिलाड़ी तैयार करने वाला, खेल विज्ञान विकसित करने वाला और राष्ट्रीय खेल शक्ति के रूप में पहचान बनाने वाला राज्य बन सकता है।

बिहार के पास इतिहास की विरासत है, युवाओं की ऊर्जा है और नई खेल नीति की दिशा है। अब आवश्यकता है उस दिशा को निरंतर गति देने की।

“मैदान से मेडल तक और मेडल से विश्व मंच तक-यही होना चाहिए नए बिहार की खेल यात्रा का लक्ष्य।”

अग्नि सुरक्षा

विलोक रंजन

स० प्रशाखा पदा०, बिहार विधान सभा



अग्नि सुरक्षा में सुधार के उपाय

वैसे तो अग्निकांड की घटनाएँ हर मौसम में होती रहती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अग्निकांड की घटनाएँ बहुतायत रूप में होती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी कुछ वर्षों से हमारी पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और पाश्चात्य वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5°C से 2.0°C (सेल्सियस) तक बढ़ने का अनुमान है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना मानव सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। इसके लिए कोई और नहीं, बल्कि हमारी मानव सभ्यता ही दोषी है। हमारा मानव समाज सदियों से अपने स्वार्थ एवं लाभ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करता रहा है, जिसके कारण कई भौगोलिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि बेमौसम बरसात, ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी या असामान्य रूप से बाढ़, अचानक आँधी-तूफान एवं भूकंप का आना जैसी आपदाएँ-प्रकृति से छेड़छाड़ का ही परिणाम है।

कई बार अग्निकांड की घटनाओं में हमारी लापरवाही, जागरूकता की कमी एवं बचाव की अकर्मण्यता काफी हद तक जिम्मेदार रही है। हमारी स्वयं की लापरवाही के कारण ही झुग्गी-झोपड़ी से लेकर बहुमंजिली इमारतों तक में अग्निकांड की घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं। अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ सम्पूर्ण भारत वर्ष की समस्या है।

पेड़ों की कटाई भी भीषण अग्निकांडों को जन्म देती है। यही कारण है कि अभी हाल ही में भीषण गर्मी और सूखे मौसम के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग लगी थी। इन पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने और वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की सूखी टहनियों एवं पत्तियों में बहुत ही तीव्रतम आग लगी और जंगलों में फैल गयी थी। तापमान में वृद्धि के कारण ही प्रचण्ड अग्नि को काबू करने के

लिए उत्तराखण्ड में स्थानीय प्रशासन एवं फायर-बिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया गया था तथा हिमाचल-प्रदेश के जंगलों में लगी आग की विकरालता को देखते हुए उसे बुझाने हेतु भारतीय वायुसेना (IAF) की मदद ली गई तथा हेलिकॉप्टर द्वारा पानी का बौछार कर उस प्रचण्ड आग पर काबू पाया गया।

रोकथाम

अग्निकांडों की रोकथाम के लिए घर, कार्यालय, होटल, शैक्षणिक संस्थाओं आदि सभी स्थानों पर Fire extinguisher का रख-रखाव एवं उसकी गुणवत्ता की निरंतर जांच आवश्यक है। साथ ही अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारत के सभी राज्य सरकारों को शहरों एवं गाँवों के लोगों के बीच जन-जागरूकता-अभियान साप्ताहिक रूप से चलाना चाहिए तथा जान-माल की सुरक्षा के लिए उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित करना चाहिए। ज्वलनशील एवं अति-ज्वलनशील पदार्थों के विषय में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जनमानस की जागरूकता ही अग्निकांड की घटनाओं को कम करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।

घरेलू एवं व्यावसायिक LPG सिलिण्डरों से भी कई घरों, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अग्निकांड की घटनाएँ हो जाती हैं। इसको प्रशिक्षित तरीके से रख-रखाव एवं उपयोग ही किसी अग्नि-दुर्घटना से निजात दिला सकती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम पदार्थों एवं इस प्रकार के अन्य ज्वलनशील पदार्थों को उनके मानक दिशा-निर्देश के अनुरूप ही इस्तेमाल करना श्रेयस्कर हैं। इसमें जरा-सी भी लापरवाही खतरनाक एवं भीषण अग्निकांड को जन्म दे सकती है। सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता ही अग्निकांड की रोकथाम में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सकारात्मक पहल

सुशील कुमार
प्रशाखा पदा०, बिहार विधान सभा



बिहार विधान सभा सचिवालय कर्मियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प

बिहार विधान सभा

सचिवालय, राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। यहाँ के कर्मचारी प्रतिदिन लगन एवं अनुशासन से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। परंतु किसी भी संस्थान की सच्ची सफलता केवल उसके नियमों, प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि वहाँ के कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास में निहित होती है। एक कर्मचारी तभी संपूर्ण रूप से सक्षम बनता है जब उसे केवल कार्यकुशल ही नहीं, बल्कि रचनात्मक रूप से समृद्ध होने का भी अवसर मिलता है। इसी भावना से प्रेरित होकर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की दूरदर्शी सोच एवं श्री संदीप राय माननीय अध्यक्ष के आप्त सचिव के अथक प्रयासों से बिहार विधान सभा सचिवालय की महिला कर्मियों के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामूहिक देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे सभा सचिवालय के कर्मियों में उत्साह एवं जोश का अद्भुत संचार हुआ। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य और टीम भावना को प्रगाढ़ करते हैं।

“

प्रत्येक कर्मचारी के भीतर उसके पद और दायित्व से अलग एक व्यक्तित्व भी होता है - गायक, खिलाड़ी, लेखक, कवि अथवा विचारक।

यदि इन प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने का अवसर मिले, तो कर्मचारी अधिक प्रसन्न, स्वस्थ, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बन सकते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ संस्था की कार्यसंस्कृति पर भी पड़ेगा।

-डॉ. प्रेम कुमार
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा



तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य

लगातार काम का दबाव और समय सीमाओं का बंधन स्वाभाविक रूप से तनाव उत्पन्न करता है। ऐसे वातावरण में यह आवश्यक है कि कर्मियों को उनके दायित्वों के अतिरिक्त रचनात्मक गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर दिया जाये। वेतन और कार्य परिस्थितियाँ तो केवल असंतोष को रोकती हैं, परंतु वास्तविक प्रेरणा और संतुष्टि तभी उत्पन्न होती है जब कर्मचारी को पहचान, उपलब्धि और व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलें। रचनात्मक गतिविधियाँ ठीक यही प्रेरणा (Motivation) प्रदान करती हैं। जब बिहार विधान सभा के कर्मचारी इन गतिविधियों में भाग लेंगे तो वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि कार्यस्थल पर भी अधिक धैर्य और सकारात्मकता के साथ अपनी भूमिका निभा पाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

अमर कुमार झा
आप्त सचिव, माननीय अध्यक्ष
बिहार विधान सभा



80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रप्रेम और नारी शक्ति का अनूठा संगम



स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह उन असंख्य अमर बलिदानों को स्मरण करने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और समर्पण के संकल्पों को याद करने का पावन अवसर है। इसी भावना को साकार करते हुए बिहार विधान सभा सचिवालय के विस्तारित भवन स्थित सभागार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

बिहार विधान सभा सचिवालय की महिला कर्मियों के बीच पहली बार आयोजित इस प्रकार की प्रतियोगिता ने राष्ट्रप्रेम, नारी शक्ति और सांस्कृतिक चेतना का सुंदर संगम प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री सैयद अता हसनैन, बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ॰ प्रेम

कुमार तथा माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत इस आयोजन का उद्देश्य केवल एक प्रतियोगिता आयोजित कराना नहीं, बल्कि सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और सामूहिक क्षमता को मंच देना भी था।

कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और भावनाओं से भरा हुआ है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर बिहार विधान सभा सचिवालय की यह पहल हमारी महिला शक्ति की प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को मंच प्रदान करने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता की सभी

प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपलोग पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में इस पहल को महिला शक्ति की प्रतिभा को सामने लाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने आह्वान किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तथा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे साथ ही एक सशक्त, समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

इस गायन प्रतियोगिता में तीन समूह (ए, बी एवं सी) बनाए गए थे और प्रत्येक समूह में 21 महिला कर्मी शामिल थीं। एक जैसी वेशभूषा, एक जैसी लय और एक ही जज्बे के साथ जब प्रतिभागियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत



बिहार विधान सभा में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण

किए तो पूरा सभागार राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो गया। कहीं गीतों में भावुकता दिखाई दी तो कहीं जोश और उत्साह का ऐसा माहौल बना कि पूरा सभागार 'वंदे मातरम' के जयघोष से गूंज उठा।

माननीय राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने अपने संबोधन में देशभक्ति की भावना को केवल नारों और औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखने की बात कही। उन्होंने 'मिस्टर भारत कुमार' के नाम से प्रख्यात अभिनेता मनोज कुमार का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए वर्ष 1963 और 1964 की देशभक्ति फिल्मों 'शहीद'

और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से भी देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने स्वच्छता जैसे सामाजिक कार्यों को भी राष्ट्रधर्म का हिस्सा बताया और कहा कि अपने आसपास की सफाई रखना भी देश के प्रति जिम्मेदारी का ही एक रूप है।

राज्यपाल ने गलवान घाटी में बिहार के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने राष्ट्रध्वज को देश की आन, बान और शान का प्रतीक

बताते हुए बिहार विधान सभा में इस प्रकार के आयोजन के लिए विधान सभा अध्यक्ष की सराहना की।

कर्मियों की सामूहिक गायकी में एक तरफ जहां संघर्ष की गाथाएं थीं, तो दूसरी तरफ देश के प्रति अटूट प्रेम और उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। कार्यक्रम में 'जस्ट डांस ग्रुप, गया जी' की विशेष नृत्य प्रस्तुति ने भी माहौल में चार चांद लगा दिए। देशभक्ति गीतों के बीच हुई इस सांस्कृतिक प्रस्तुति ने कार्यक्रम को मनोरंजन और सांस्कृतिक विविधता से जोड़ दिया। दर्शकों ने भी इस प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया।



और 'हकीकत' को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि गीत, संगीत, नृत्य

देशभक्ति समूह गान प्रतियोगिता के लिए विभिन्न श्रेणियों



निर्णायक मंडल के सदस्य डॉ. नीतू कुमारी नूतन, पंडित अभिषेक मिश्रा एवं श्रीमती सोमा दास को सम्मानित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

में पुरस्कार वितरण किया गया जिसमें क्रमशः ग्रुप-बी प्रथम (गोल्ड मेडल), ग्रुप-ए द्वितीय (सिल्वर मेडल) और ग्रुप-सी (ब्रांज मेडल) के विजेताओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

साथ ही, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों में से शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए चार प्रतिभागियों को और अन्य कैटेगरी के तहत प्रत्येक ग्रुप से दो-दो लीड सिंगर को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा निर्णायक मंडल के सदस्य डॉ. नीतू कुमारी नूतन, पंडित अभिषेक मिश्रा एवं श्रीमती सोमा दास, प्रतियोगिता के लिए दो प्रशिक्षक (मेंटर्स) श्री कमलेश एवं सुश्री सिमरन श्रुति सहित आयोजन से जुड़े अन्य सहभागियों को भी सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना एवं इसके सफल आयोजन में श्री संदीप राय, आप्त सचिव, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का महत्वपूर्ण योगदान







रहा। उन्होंने कार्यक्रम के प्रत्येक चरण को सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संचालित कराने में विशेष भूमिका निभाई। प्रतिभागियों के समूह गठन से लेकर प्रशिक्षण, मंचीय प्रस्तुति, कार्यक्रम के क्रम, अतिथियों के स्वागत, पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक, हर पहलू पर उनकी सक्रियता दिखाई दी। उनके कुशल समन्वय के कारण कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के सहज और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता रहा।



श्री संदीप राय

आप्त सचिव, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

दरअसल, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाना केवल मंच पर कार्यक्रम कराने तक सीमित नहीं होता। इसके पीछे कई स्तरों पर तैयारी, समन्वय और समयबद्ध प्रबंधन की आवश्यकता होती है। श्री संदीप राय ने इस

भूमिका को बखूबी निभाते हुए प्रतिभागियों और आयोजन से जुड़े विभिन्न लोगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण रहा कि पूरा आयोजन एक सहज प्रवाह के साथ संपन्न हुआ। श्री राय की भूमिका केवल आयोजन की व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गतिविधि को सही क्रम में आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आज आवश्यकता है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को केवल ध्वजारोहण और औपचारिक समारोह तक सीमित न रखकर उनमें सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रनिर्माण की भावना को भी जोड़ा जाय। बिहार विधान सभा की यह पहल इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है, जिसने यह संदेश दिया है कि राष्ट्रभक्ति केवल सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के दैनिक कर्तव्यों और कर्मनिष्ठा में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

बिहार विधान सभा में आयोजित यह देशभक्ति समूह गान प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक यादगार आयोजन के रूप में याद किया जाएगा। महिला कर्मियों की शानदार प्रस्तुतियां, अतिथियों के प्रेरक संबोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूरे आयोजन का सुचारु एवं सुनियोजित संचालन-इन सभी ने मिलकर इस अवसर को खास बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस आयोजन ने राष्ट्रप्रेम को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि गीत, संगीत, सामूहिक प्रयास और कर्म के माध्यम से महसूस कराया।

बिहार विधान सभा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रतिभागियों के साथ माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं अन्य महानुभावगण



पूर्णिया

पंचमुखी मंदिर



पूर्णिया मैप



पूर्णिया एक नजर में

श्रेणी	विवरण
क्षेत्रफल	3229 वर्ग किमी
अनुमंडल	4 (पूर्णिया सदर, धमदाहा, बायसी, बनमनखी)
प्रखंड	14
पंचायतें	246
गाँवों की संख्या	1226
जनसंख्या (2011)	32,64,619
पुरुष जनसंख्या	16,99,370
महिला जनसंख्या	15,65,249
लिंगानुपात	921 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष
साक्षरता दर	51.08%
पुरुष साक्षरता	59.06%
महिला साक्षरता	42.34%
शहरी आबादी	3,43,005
ग्रामीण आबादी	29,21,614
प्रमुख नदियाँ	कोसी, महानंदा, सौरा काली, कोली, पनार
प्रमुख कृषि उत्पाद	जूट, केला

जिला विशेष

धनंजय कुमार
शोध संदर्भ सहायक,
बिहार विधान सभा



जिला विशेष : पूर्णिया

बिहार के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित पूर्णिया उन जिलों में है, जिनकी पहचान केवल नक्शे पर खींची गई सीमाओं से नहीं होती। नदियों, सीमांत भूगोल और अनेक सांस्कृतिक धाराओं के बीच विकसित हुआ यह जिला सदियों से परिवर्तन का साक्षी रहा है। कभी प्राचीन अंग और पुण्ड्र की स्मृतियों से जुड़ा भू-भाग, कभी बंगाल की सीमा पर मुगल सत्ता का सैन्य सीमांत और फिर औपनिवेशिक शासन का विशाल जिला-पूर्णिया ने हर दौर में अपना स्वरूप बदला, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी।

शायद पूर्णिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ सीमा कभी भूगोल की सीमा रेखा नहीं रही, बल्कि उसने लोगों और जगहों को जोड़ा भी और कई बार संघर्ष का कारण भी बना। अलग-अलग संस्कृतियों के बीच दूरी भी रही और मेल-जोल भी बढ़ा। इसी बदलते भूगोल के बीच पूर्णिया का सामाजिक जीवन, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान आकार लेती रही।

नदियों और सीमाओं से बनी पहचान

पूर्णिया के इतिहास को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना आवश्यक है। कोसी, महानंदा, परमान और अन्य नदियों से सिंचित यह उपजाऊ जलोढ़ भू-भाग कृषि के लिए अनुकूल रहा है, वहीं बाढ़ और बदलती

नदी-धाराओं ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। हिमालय से उतरने वाली इन नदियों ने कृषि, आवागमन और बस्तियों के विकास को आकार दिया। इस प्रकार पूर्णिया का भूगोल यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन को गढ़ने वाली महत्वपूर्ण शक्ति रहा है।

उत्तर में नेपाल की तराई और पूर्व में बंगाल से निकटता ने पूर्णिया को सदियों से संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र के रूप में विकसित किया। विभिन्न दिशाओं से आए लोगों और परंपराओं का मेल यहाँ की भाषा, खान-पान और लोकजीवन में दिखाई देता है। विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का यही सतत संगम पूर्णिया की बहुरंगी पहचान का आधार है।

प्राचीन स्मृतियों से मुगल सीमांत तक

पूर्णिया के अतीत की स्मृतियाँ अंग और पुण्ड्र जैसे प्राचीन समुदायों तक जाती हैं। अथर्व संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। आधुनिक प्रशासनिक सीमाओं को इन प्राचीन भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों से सीधे जोड़ना उचित नहीं होगा, फिर भी ये संदर्भ बताते हैं कि पूर्णिया का भू-भाग प्राचीन पूर्वी भारत की सांस्कृतिक दुनिया से जुड़ा रहा था।

महाभारत की परंपरा में विराटनगर को भी पूर्णिया क्षेत्र से जोड़ा जाता है और मान्यता है कि अज्ञातवास के

दौरान पांडवों ने यहाँ आश्रय लिया था। यह ऐतिहासिक प्रमाण से अधिक एक जीवित पौराणिक स्मृति है, लेकिन ऐसी लोक-स्मृतियाँ किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।

मध्यकाल में पूर्णिया की भौगोलिक स्थिति ने उसे नया सामरिक महत्व दिया। मुगल शासन के दौरान यह एक दूरस्थ सैन्य सीमांत प्रांत था और इसकी आय का बड़ा हिस्सा उत्तर तथा पूर्व की सीमाओं की सुरक्षा पर खर्च होता था। आइने-अकबरी में पूर्णिया को बंगाल की सूबा-व्यवस्था के अंतर्गत एक 'सरकार' के रूप में दर्ज किया गया है। जलालगढ़ जैसे सामरिक केंद्र इसी सीमांत भूगोल की याद दिलाते हैं।

1770: एक विशाल जिले का गठन

अठारहवीं शताब्दी के राजनीतिक परिवर्तनों ने पूर्णिया को नई दिशा दी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आने के बाद 10 फरवरी, 1770 को पूर्णिया एक स्वतंत्र जिले के रूप में गठित हुआ और औपनिवेशिक प्रशासन में महत्वपूर्ण इकाई बन गया।

उस समय का पूर्णिया आज की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत था। कटिहार (1976), तथा अररिया और किशनगंज (1990) इसके पुराने भू-भाग से अलग होकर स्वतंत्र जिले बने। इस पुनर्गठन के बावजूद वर्तमान पूर्णिया अपने विस्तृत ऐतिहासिक भूगोल की निरंतरता को दर्शाता है।

औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि और राजस्व व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन को गहराई से प्रभावित किया। नील की खेती और यूरोपीय व्यापारिक हितों ने जिले की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर अपनी छाप छोड़ी। रामबाग यूरोपीय बसावट का प्रमुख केंद्र बना, जबकि सरसो नील की खेती के महत्वपूर्ण केंद्रों में था।

स्वदेशी से किसान सभा तक

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल से उठी स्वदेशी चेतना का प्रभाव पूर्णिया तक पहुँचा। शिक्षित युवाओं और विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय विचारों का प्रसार हुआ और कांग्रेस के प्रभाव के साथ आंदोलन शहरों-कस्बों से निकलकर ग्रामीण समाज तक पहुँचा। कृषि-प्रधान पूर्णिया में राष्ट्रीय चेतना का जुड़ाव स्वाभाविक रूप से किसानों के प्रश्नों से हुआ।

भूमि, लगान और ग्रामीण आर्थिक संबंधों से जुड़े प्रश्न धीरे-धीरे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने। किसान सभा ने इस चेतना को संगठित स्वर दिया। पूर्णिया में स्वराज की आकांक्षा केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति

झंडा चौक: आधी रात का तिरंगा

पूर्णिया की स्वतंत्रता-स्मृति की एक अनूठी परंपरा भट्टा बाजार के झंडा चौक से जुड़ी है। स्थानीय परंपरा के अनुसार, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि जब दिल्ली में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, पूर्णिया में रामेश्वर प्रसाद सिंह ने भी उसी समय भट्टा बाजार के एक चौराहे पर तिरंगा फहराया। रेडियो पर दिल्ली के समारोह को सुन रहे लोगों के बीच जन्मी यह पहल आगे चलकर एक स्थायी परंपरा बन गई और वह चौराहा 'झंडा चौक' कहलाने लगा।

यह परंपरा आज भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्वरात्रि में मध्यरात्रि के आसपास तिरंगा फहराकर निभाई जाती है। इस तरह पूर्णिया में स्वतंत्रता केवल इतिहास की एक तारीख नहीं, बल्कि पीढ़ियों से निभाई जा रही एक जीवित स्मृति है।

तक सीमित नहीं रही। वह किसानों के आर्थिक हित, सामाजिक सम्मान और अधिकारों से भी जुड़ गई।

इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्णिया के ग्रामीण समाज में एक व्यापक परिवर्तन की आकांक्षा को जन्म दिया-राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति की आकांक्षा।

1942 का आंदोलन

भारत छोड़ो आंदोलन ने पूर्णिया की स्वतंत्रता-गाथा को निर्णायक मोड़ दिया। अगस्त 1942 में राष्ट्रीय नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी रहा और कई स्थानों पर स्थानीय, स्वतःस्फूर्त जनप्रतिरोध का रूप ले लिया। सरकारी संस्थानों और संचार व्यवस्था को चुनौती देकर पूर्णिया के गाँवों और कस्बों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज की।

टिकापट्टी इस दौर की महत्वपूर्ण स्मृतियों में है। यहाँ का स्वराज आश्रम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। इससे पहले नोनिया-डीह में नमक सत्याग्रह भी इस क्षेत्र की राजनीतिक सक्रियता का प्रतीक बना था। 1942 में टिकापट्टी और आसपास का क्षेत्र पुनः आंदोलन का केंद्र बना।

प्रमुख व्यक्तित्व

पूर्णिया की विरासत साहित्य, राजनीति, शिक्षा, सामाजिक चेतना और खेल-इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। भोला पासवान शास्त्री, डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा, फणीश्वरनाथ 'रेणु', सतीनाथ भादुड़ी, बलाई चंद मुखोपाध्याय 'बनफूल' और सैयद अब्दुस समद जैसे व्यक्तित्व इस अंचल की विविध प्रतिभा और व्यापक सांस्कृतिक पहचान के प्रतिनिधि हैं।

भोला पासवान शास्त्री

भोला पासवान शास्त्री का जन्म 1914 में

तत्कालीन पूर्णिया जिले के बैरगाछी में हुआ था। काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कारावास भुगता। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सामाजिक जागरण और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए कार्य किया। 1946 में बिहार विधान

साहित्य की नजर से पूर्णिया

पूर्णिया को केवल उसके इतिहास और भूगोल से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए उन लेखकों के पास भी जाना होगा, जिन्होंने इसकी मिट्टी, बोली और लोगों को अपनी रचनाओं में जगह दी। फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने मैला आँचल में पूर्णिया अंचल के ग्रामीण जीवन को हिंदी साहित्य में ऐसी पहचान दी कि पूर्णिया और 'आंचलिकता' लगभग एक-दूसरे के पर्याय लगने लगे। रेणु के पहले सतीनाथ भादुड़ी ने ढोड़ाय चरित मानस के माध्यम से इसी भूगोल को बांग्ला साहित्य में स्वर दिया।

इसीलिए पूर्णिया साहित्य में केवल एक जगह नहीं है-वह एक जीवंत अंचल है, जिसकी अपनी आवाज, अपनी भाषा और अपना जीवन है।

सभा पहुँचे और आगे चलकर बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। वे तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना से सामाजिक न्याय की आकांक्षा तक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है।

डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु

डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु राजनीति और शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े रहे। वे 15 मार्च, 1962 से 15 मार्च, 1967 तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष रहे। पूर्णिया में उच्च

शिक्षा के विकास में भी उनका योगदान रहा और 1948 में स्थापित पूर्णिया कॉलेज के निर्माण से जुड़े प्रयासों में उनका नाम प्रमुखता से आता है। यह संस्थान उस दौर की शैक्षिक आकांक्षा का प्रतीक बना, जब क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे।

राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा

बनैली राज से जुड़े राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा (1880-1938) पूर्णिया के सार्वजनिक जीवन के उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे। शिक्षा के प्रति उनके योगदान को पटना विश्वविद्यालय के अभिलेख में उन्हें “generous patron of learning” के रूप में स्मरण किया गया है। 1917 में वे चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य बने, जहाँ नील की खेती और किसानों से जुड़े प्रश्नों पर विचार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में T.N.B. College, भागलपुर के विकास में उनके योगदान का भी उल्लेख मिलता है।

फणीश्वरनाथ 'रेणु'

फणीश्वरनाथ 'रेणु' का नाम पूर्णिया अंचल की मिट्टी, बोली और लोकजीवन के साथ लगभग एकाकार है। 4 मार्च, 1921 को औराही हिंगना में जन्मे रेणु का जन्मस्थान उस समय पूर्णिया जिले में था और आज अररिया जिले में है। 'मैला आंचल' ने उत्तर-पूर्वी बिहार के ग्रामीण जीवन, लोकभाषा और सामाजिक यथार्थ को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाया। उनके साहित्य में अंचल महज पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत पात्र बनकर उभरता है।

सतीनाथ भादुड़ी

सतीनाथ भादुड़ी का जन्म पूर्णिया के भट्टाबाजार में हुआ था। उनका प्रसिद्ध उपन्यास जागरी (1945) भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में गांधीवाद, समाजवाद और

साम्यवाद के वैचारिक द्वंद्व को सामने लाता है। इस तरह जहाँ रेणु ने अंचल के जीवन और लोकसंस्कृति को स्वर दिया, वहीं भादुड़ी ने उसके सामाजिक-राजनीतिक अंतर्द्वंद्व को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी।

बलाई चंद मुखोपाध्याय 'बनफूल'

बलाई चंद मुखोपाध्याय 'बनफूल' का जन्म 19 जुलाई 1899 को मनहारी में हुआ था, जो उस समय पूर्णिया जिले का हिस्सा था और आज कटिहार जिले में है। बंगाली साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और चिकित्सक 'बनफूल' को 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक पहचान ऐतिहासिक पूर्णिया की उस व्यापक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसकी सीमाएँ आज के प्रशासनिक मानचित्र से कहीं विस्तृत थीं।

सैयद अब्दुस समद: फुटबॉल के जादूगर

पूर्णिया से जुड़ी खेल प्रतिभाओं में सैयद अब्दुस समद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पूर्णिया जिला स्कूल और पूर्णिया जूनियर फुटबॉल क्लब से जुड़े समद ने आगे चलकर भारतीय फुटबॉल में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और 'फुटबॉल जादूगर' कहलाए। पूर्णिया जिला स्कूल की ओर से खेलते हुए किशनगंज हाई स्कूल के विरुद्ध 10-0 की जीत में उनके द्वारा सभी दस गोल किए जाने का उल्लेख उनके असाधारण कौशल की याद दिलाता है। आगे चलकर वे भारतीय फुटबॉल के आरंभिक दौर के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हुए।

विरासत और पर्यटन

पूर्णिया की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत अनेक स्थलों में बिखरी हुई है। पुरन देवी, पीर बाबा, काली मंदिर, माता स्थान, नरसिंह अवतार बीकोठी, रानी सती मंदिर, जलालगढ़ किला और काझा कोठी इस विरासत के प्रमुख पड़ाव हैं।

पुरन देवी मंदिर



पुरन देवी मंदिर

पुरन देवी मंदिर पूर्णिया की धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। जिले के नाम की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता इसे देवी 'पुरन देवी' से जोड़ती है, जबकि दूसरी 'पुरैन' अर्थात कमल से। जिला प्रशासन भी इन दोनों को मान्यताओं के रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए मंदिर का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यह पूर्णिया के नाम और उसकी स्थानीय सांस्कृतिक स्मृति से भी जुड़ा हुआ है।

माँ कामाख्या मंदिर



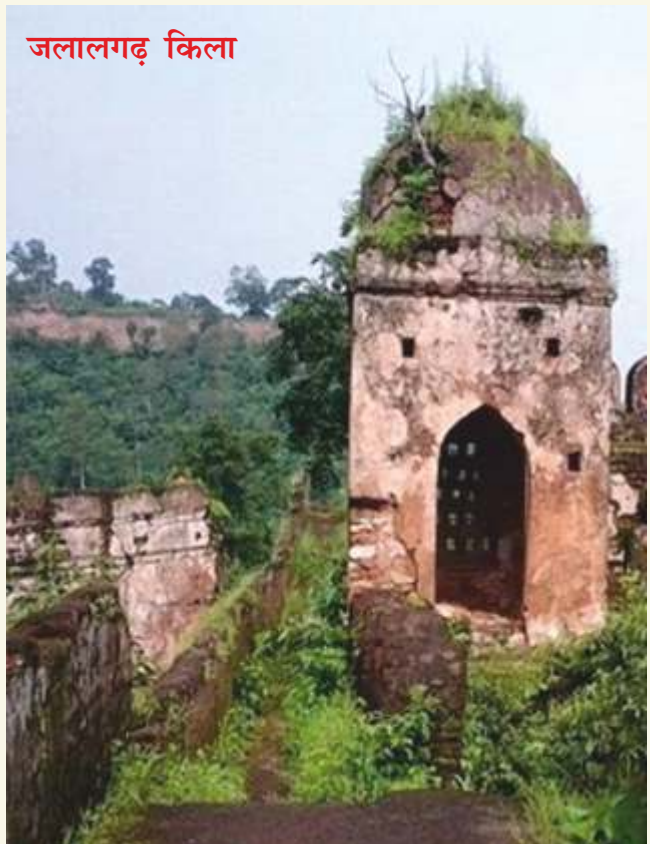
माँ कामाख्या मंदिर

माँ कामाख्या मंदिर पूर्णिया की धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय परंपरा में लगभग 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को असम के कामाख्या मंदिर से जुड़ी आस्था और तांत्रिक परंपरा से जोड़ा जाता है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ विशेष पूजा-अर्चना होती है और दूर-दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर से जुड़ी अनेक मान्यताएँ आज भी स्थानीय आस्था और लोकविश्वास का हिस्सा हैं।

जलालगढ़ किला

जलालगढ़ किला पूर्णिया के सामरिक अतीत की सशक्त स्मृति है। इसकी उपस्थिति उस दौर की याद दिलाती है जब बंगाल की सीमा से निकटता ने पूर्णिया को सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया था। आज किले के

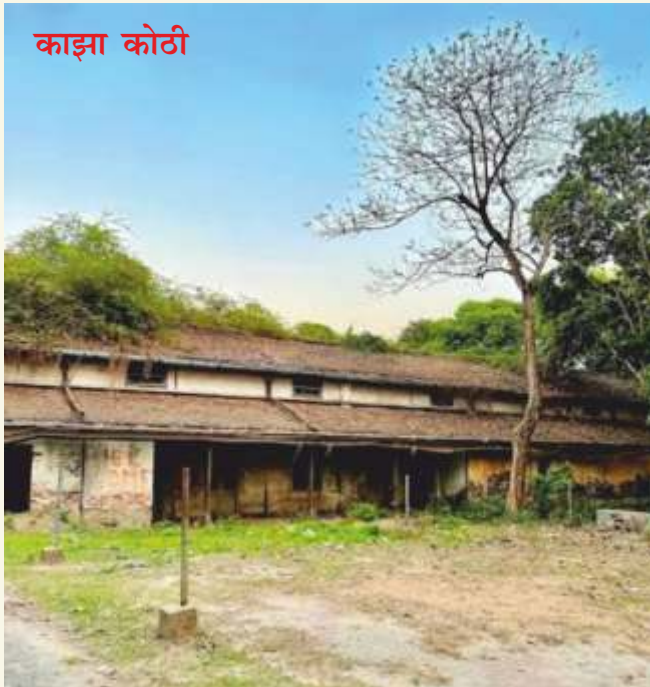
जलालगढ़ किला



अवशेष उस समय की कहानी कहते हैं, जब सीमा की सुरक्षा, सत्ता की स्थिरता और सैन्य स्थापत्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।

काझा कोठी

काझा कोठी पूर्णिया की विरासत में औपनिवेशिक काल की स्थापत्य स्मृति को सामने लाती है। मंदिरों और किले से अलग यह स्थल उस दौर की याद दिलाता है जब अंग्रेजी शासन ने जिले के प्रशासनिक और सामाजिक जीवन पर अपनी छाप छोड़ी। इसकी उपस्थिति पूर्णिया की विरासत को एक अलग ऐतिहासिक आयाम प्रदान करती है।



टिकापट्टी और खानकाह

टिकापट्टी पूर्णिया की स्वतंत्रता-स्मृति की महत्वपूर्ण भूमि है, जबकि खानकाह-ए -आलिया मुस्तफिया जिले की सूफी और बहुलतावादी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थल करीब चार शताब्दियों से आध्यात्मिकता, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा रहा है।

आधुनिक पूर्णिया

इक्कीसवीं सदी में पूर्णिया की पहचान उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ बदलते आधारभूत ढाँचे, कृषि-अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संपर्क से भी जुड़ रही है। 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट के न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन इस परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी रहा। इससे क्षेत्र में

गुलाब बाग: कृषि-वाणिज्य का केंद्र

गुलाब बाग पूर्णिया की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण पहचान है। लंबे समय से यह आसपास के कृषि उत्पादों के व्यापार और आवागमन का प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्णिया की उपजाऊ जलोढ़ भूमि और जूट, मक्का, धान जैसी फसलों की व्यापक खेती ने इसके बाजार-चरित्र को आकार दिया। आज भी कृषि और उससे जुड़े व्यापारिक नेटवर्क में गुलाब बाग की भूमिका पूर्णिया को एक महत्वपूर्ण कृषि-वाणिज्यिक केंद्र के रूप में रेखांकित करती है।

यात्रियों के आवागमन की क्षमता बढ़ी और पूर्णिया के लिए हवाई संपर्क का नया अध्याय खुला।

पूर्णिया की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई संभावनाएँ मिल रही हैं। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य मखाना उत्पादन में नई तकनीक को बढ़ावा देना, कटाई के बाद के प्रबंधन को सुदृढ़ करना, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना तथा बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को गति देना है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पूर्णिया राज्य के प्रमुख मखाना उत्पादक जिलों में शामिल है। ऐसे में यह पहल जिले की पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है।

पशुपालन के क्षेत्र में पूर्णिया में Sex-Sorted Semen Facility की स्थापना भी उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत विकसित यह अत्याधुनिक केंद्र प्रतिवर्ष 5 लाख Sex-Sorted semen doses के उत्पादन की क्षमता रखता है और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह पहल दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने और छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की आय में सुधार की संभावनाएँ खोलती है।

सड़क संपर्क के क्षेत्र में खगड़िया-पूर्णिया खंड के NH-31 और NH-231 के 143.529 किलोमीटर हिस्से को चार लेन में विकसित करने की रु. 3,936.05 करोड़ की परियोजना को जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। इसमें 6.729 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड पूर्णिया बाईपास भी शामिल है। प्रस्तावित कॉरिडोर पूर्णिया एयरपोर्ट, प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अनेक आर्थिक एवं लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय आवागमन को गति देगा।

इस प्रकार पूर्णिया में विकास की नई कहानी केवल नई सड़कों और परिवहन सुविधाओं की नहीं है। यह कृषि, पशुपालन, बाजार और संपर्क-इन सभी को एक साथ जोड़कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कहानी भी है।

पूर्णिया की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता समय के साथ बदलते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखना है। प्राचीन अंग और पुण्ड्र की स्मृतियों से लेकर मुगलकालीन सैन्य सीमांत, औपनिवेशिक शासन के विशाल जिले और स्वतंत्रता आंदोलन के किसान-जनप्रतिरोध तक, इस भू-भाग ने इतिहास की अनेक करवटें देखीं।

नदियों की धाराएँ बदलीं, प्रशासनिक सीमाएँ पुनर्गठित हुईं और पुराने विशाल पूर्णिया जिले से नए जिले अस्तित्व में आए। फिर भी इस भूमि की सांस्कृतिक स्मृति और उसका अपना स्वभाव बना रहा। उत्तर और पूर्व से आने वाली भौगोलिक तथा सांस्कृतिक धाराओं का यह संगम ही पूर्णिया के व्यक्तित्व की सबसे विशिष्ट पहचान है।

शायद पूर्णिया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सीमांत पर स्थित होकर भी यह कभी इतिहास की परिधि नहीं रहा। बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालते हुए उसने अपने अतीत को भी संजोया और भविष्य की ओर भी कदम बढ़ाए। पूर्णिया की कहानी अंततः उस भूमि की कहानी है, जिसने इतिहास की हर करवट को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इसी प्रक्रिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान गढ़ी।

संदर्भ:

1. L.S.S.O'Malley - Bengal District Gazetteer: Purnea, 1911.
2. P.C. Roy Chaudhury - Bihar District Gazetteers: Purnea, Government of Bihar.
3. Ministry of Culture, Government of India-Digital District Repository, पूर्णिया संबंधी अभिलेख।
4. Mahatma Gandhi's Collected Works /~ Champaran Agrarian Committee Records-1917 की चंपारण एग्रेसियन कमेटी तथा राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा से संबंधित अभिलेख।
5. Patna University Historical Records-राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा के शिक्षा एवं सार्वजनिक जीवन से संबंधित अभिलेख।
6. T.N.B. College, Bhagalpur - Historical Records-राजा बहादुर कृत्यानंद सिन्हा के शैक्षिक योगदान से संबंधित सामग्री।

पूरुणिया जिला के लोकसभा सदस्य



श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

नि० क्षेत्र-पूरुणिया
निर्दलीय

18वीं बिहार विधान सभा में पूरुणिया जिले से निर्वाचित सदस्य (क्षेत्र संख्यावार)



श्री अखतरुल ईमान

नि० क्षेत्र-अमौर
क्षे.सं.-56
एआईएमआईएम



श्री गुलाम सरवर

नि० क्षेत्र-बाघसी
क्षे.सं.-57
एआईएमआईएम



श्री नितेश कुमार सिंह

नि० क्षेत्र-कसबा
क्षे.सं.-58
लोजपा (रामविलास)



श्री कृष्ण कुमार ऋषि

नि० क्षेत्र-बनमनखी (अ०जा०)
क्षे.सं.-59
भाजपा



श्री कलाधर प्रसाद मंडल

नि० क्षेत्र-रूपौली
क्षे.सं.-60
जद (यू)



श्रीमती लेशी सिंह

नि० क्षेत्र-धमदाहा
क्षे.सं.-61
जद (यू)



श्री विजय कुमार खेमका

नि० क्षेत्र-पूरुणिया
क्षे.सं.-62
भाजपा

व्यक्ति विशेष

मनमीत कुमार
स० प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा



लक्ष्मी नारायण सुधांशु जब साहित्य सदन की भाषा बना

साहित्यकार, शिक्षाविद्, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष

बिहार के सार्वजनिक जीवन के इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व कम मिलते हैं जिनके भीतर साहित्य की संवेदना, शिक्षा की साधना, स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष और संसदीय जीवन की मर्यादा एक साथ दिखाई देती हो। डॉ. लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे साहित्यकार, कवि, आलोचक, शिक्षाविद्, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। लेकिन इन सबमें साहित्य ही उनके व्यक्तित्व का वह केंद्र-बिंदु रहा, जिसके चारों ओर उनका संपूर्ण सार्वजनिक जीवन आकार लेता रहा।

बिहार विधान सभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 15 मार्च, 1962 से 15 मार्च, 1967 तक रहा। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए शायद यही कहना पर्याप्त होगा—“उन्होंने साहित्य को केवल लिखा नहीं, जिया; और सदन का केवल संचालन नहीं किया, उसकी भाषा और गरिमा को भी सँवारा।”

पूर्णिया की धरती से साहित्य की दुनिया तक

डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 15 दिसंबर, 1906 को पूर्णिया जिले के रूपसपुर में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता श्री धनपत सिंह ने बचपन से ही उनकी पढ़ने-लिखने की असाधारण रुचि को पहचान लिया था।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णिया में हुई और आगे की शिक्षा के लिए उन्हें भागलपुर भेजा गया। उच्च शिक्षा उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और हिन्दी में एम.ए. किया।



विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उनकी रचनाएँ छात्र जीवन में ही प्रकाशित होने लगी थीं। उनकी आरंभिक साहित्यिक यात्रा में 'भ्रातृप्रेम' (1926), 'गुलाब की कलियाँ' (1928) और 'रसरंग' (1929) जैसी रचनाओं का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार उनके लिए शिक्षा और साहित्य अलग-अलग रास्ते नहीं थे। शिक्षा ने उनके विचारों को दिशा और साहित्य ने उन विचारों को अभिव्यक्ति की।

अध्यापक से शिक्षाविद् तक

शिक्षा पूरी करने के बाद सुधांशु ने देवघर में अध्यापन कार्य आरंभ किया। बाद में वे गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय, देवघर से जुड़े और 1930 के दशक में वहाँ प्रधानाचार्य के पद तक पहुँचे। शिक्षा उनके लिए केवल नौकरी नहीं थी। वे मानते थे कि साहित्यिक चेतना और सामाजिक चेतना का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि बाद के वर्षों में भी वे विभिन्न शैक्षणिक और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

पूर्णिया कॉलेज, देवघर विद्यापीठ और गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय जैसी संस्थाओं के विकास में उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन में संस्थान बनाना और संस्थाओं के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक चेतना पैदा करना एक निरंतर प्रक्रिया रही।

स्वतंत्रता आंदोलन: साहित्यकार से सेनानी तक

सुधांशु का जीवन केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहा। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद किया।

स्वतंत्रता आंदोलन ने उनके सार्वजनिक जीवन को एक नया आयाम दिया। किंतु उल्लेखनीय बात यह रही कि राजनीतिक संघर्ष के बीच भी उनकी साहित्यिक साधना बाधित नहीं हुई। यही उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता

थी-राजनीति उनके जीवन में आई, लेकिन साहित्य कभी बाहर नहीं गया।

पत्रकारिता: विचारों को समाज तक पहुँचाने का माध्यम

डॉ. सुधांशु समझते थे कि पुस्तकें केवल सीमित पाठक-वर्ग तक पहुँचती हैं, जबकि पत्र-पत्रिकाएँ व्यापक समाज में विचारों को ले जा सकती हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने पत्रकारिता को भी अपनी साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया।

उन्होंने 'राष्ट्र-वाणी' जैसे साप्ताहिक प्रकाशन से जुड़कर सार्वजनिक विमर्श को दिशा दी। बाद में 'अवंतिका' जैसी साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से हिन्दी साहित्य को मंच प्रदान किया। 1950 के दशक में हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। उनके लिए पत्रिका केवल रचनाएँ प्रकाशित करने का माध्यम नहीं थी; वह साहित्य, समाज और विचार के बीच संवाद का मंच थी।

'अवंतिका' और साहित्य का सार्वजनिक संसार

वर्ष 1952 से 1956 के बीच 'अवंतिका' के प्रकाशन को सुधांशु की साहित्यिक सक्रियता के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है। उनकी साहित्यिक रुचि आलोचना, कविता, कथा और सांस्कृतिक विमर्श तक फैली हुई थी।

उनका लेखन इस बात का प्रमाण है कि वे हिन्दी को केवल भाषा के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए हिन्दी भारतीय समाज की स्मृति, लोकजीवन, संस्कृति और भाव-जगत को व्यक्त करने का माध्यम थी। इसी व्यापक दृष्टि ने उन्हें बाद में बिहार की हिन्दी संस्थाओं के निर्माण से भी जोड़ा।

पूर्णिया का 'कला भवन': एक साहित्यकार का सांस्कृतिक स्वप्न

वर्ष 1955 में पूर्णिया में कला भवन की स्थापना उनके सांस्कृतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। इसका उद्देश्य साहित्य, कला और संस्कृति को एक साझा

मंच प्रदान करना था। आज भी कला भवन से जुड़ी स्मृतियों में सुधांशु को उसके संस्थापक के रूप में याद किया जाता है।

पूर्णिया का कला भवन-डॉ. लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' की उस सांस्कृतिक दृष्टि का जीवंत प्रतीक, जिसमें साहित्य, कला और समाज को एक साथ लाने का प्रयास था।

कला भवन में साहित्यिक गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलात्मक गतिविधियाँ आयोजित होती रहीं। इस प्रकार उन्होंने साहित्य को पुस्तक के पन्नों से निकालकर समाज के बीच पहुँचाने का प्रयास किया। आज भी पूर्णिया में उनकी जयंती और पुण्यतिथि कला भवन में आयोजित होती है, जिससे इस संस्था और उनके बीच का संबंध जीवित दिखाई देता है।

‘ग्राम-गीत का मर्म’: लोकजीवन के भीतर उतरता साहित्यकार

डॉ. सुधांशु के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है-लोकजीवन के प्रति उनकी संवेदनशील दृष्टि। उनका प्रसिद्ध निबंध ‘ग्राम-गीत का मर्म’ बिहार की शैक्षिक-साहित्यिक परंपरा में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस रचना में वे ग्रामगीतों को केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं मानते, बल्कि उन्हें मानव-जीवन की सहज भावाभिव्यक्ति के रूप में भी देखते हैं।

उनकी अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है-

“ग्राम-गीत हृदय की वाणी है,

मस्तिष्क की ध्वनि नहीं।”

इस एक वाक्य में डॉ. सुधांशु की पूरी लोक-साहित्य दृष्टि जैसे समा जाती है। वे बताते हैं कि ग्रामगीतों में जीवन के उल्लास, विषाद, प्रेम, विरह, क्रोध, कर्तव्य और संघर्ष की सहज अभिव्यक्ति मिलती है। उनमें कृत्रिम शिष्टाचार का बोझ नहीं होता। उनकी दृष्टि में ग्रामगीत की शक्ति उसकी सहजता में है-वह व्यक्ति से जन्म लेकर समुदाय की आवाज बन जाता है।

यही कारण है कि ‘ग्राम-गीत का मर्म’ आज भी केवल साहित्यिक निबंध नहीं, बल्कि लोक-संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण पाठ है।

साहित्य में विचार और संवेदना

सुधांशु केवल भावुक साहित्यकार नहीं थे। वे गंभीर साहित्य-चिंतक भी थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में ‘काव्य में अभिव्यंजनावाद’ तथा ‘जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत’ का विशेष स्थान है। उनके लेखन में काव्य, सौंदर्य, मनोविज्ञान, जीवन और अभिव्यक्ति के संबंधों पर गंभीर विचार दिखाई देता है।

उनकी आलोचना का मूल आग्रह था कि साहित्य को जीवन से काटकर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए उनके साहित्य में एक ओर सौंदर्यशास्त्र है, दूसरी ओर लोकजीवन; एक ओर काव्य का सिद्धांत है, दूसरी ओर मानवीय संवेदना।

सदन की ओर यात्रा

स्वतंत्रता के पश्चात् भी सुधांशु जी का सार्वजनिक जीवन निरंतर सक्रिय रहा। वे 1952 की प्रथम बिहार विधान सभा में धमदाहा-सह-कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक के रूप में चुने गए। 1962 के चुनाव में वे धमदाहा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए।

वर्ष 1961 में वे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। हिन्दी के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को देखते हुए यह जिम्मेदारी उनके साहित्यिक जीवन के अनुरूप ही थी।

15 मार्च 1962: साहित्यकार सदन की सर्वोच्च पीठ पर

15 मार्च, 1962 को डॉ. लक्ष्मी नारायण ‘सुधांशु’ बिहार विधान सभा के अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल की अवधि 15 मार्च, 1962 से 15 मार्च, 1967 है।

यहाँ उनका साहित्यिक व्यक्तित्व उनकी अध्यक्षीय भूमिका में भी दिखाई देता था। वे शब्दों के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि सदन में बोले गए शब्द केवल उस क्षण की बहस का हिस्सा नहीं होते; वे लोकतांत्रिक अभिलेख का हिस्सा बन जाते हैं।

अध्यक्ष के रूप में उनकी शैली: कम शब्द, स्पष्ट निर्देश

सुधांशु के अध्यक्षीय व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पक्ष उनकी संक्षिप्तता और सटीकता था। वे लंबी टिप्पणियों के बजाय कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते थे जिनसे सदन का वातावरण बदल जाता था। साहित्यिक प्रशिक्षण ने उन्हें भाषा का संयम दिया था और संसदीय दायित्व ने उस संयम को संस्थागत गरिमा में बदल दिया।

वे सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी भाषा की विनम्रता के भीतर ही दृढ़ता व्यक्त करते थे। यही कारण था कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी वे सदन को बहस से टकराव की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास करते थे।

कृष्ण बल्लभ सहाय और डॉ. सुधांशु: सदन में साहित्य का एक अनोखा संवाद

वर्ष 1962 से 1967 का काल बिहार विधान सभा के इतिहास में साहित्यिक दृष्टि से भी दिलचस्प था। उस समय

बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय थे और विधानसभा के अध्यक्ष थे डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु।

एक ओर मुख्यमंत्री अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान माने जाते थे, दूसरी ओर अध्यक्ष हिन्दी साहित्य के गंभीर अध्यक्ता थे। दोनों की साहित्यिक रुचियों ने उनके बीच एक विशेष बौद्धिक निकटता पैदा की।

कहा जाता है कि कृष्ण बल्लभ सहाय बहसों के दौरान तुलसीदास, बिहारी और सूरदास जैसे हिन्दी कवियों के साथ-साथ शेक्सपीयर और वर्ड्सवर्थ जैसे अंग्रेजी साहित्यकारों का भी सहजता से उल्लेख करते थे। सुधांशु भी कई अवसरों पर साहित्यिक संदर्भों के साथ संवाद में शामिल होते थे।

इस प्रकार बिहार विधान सभा की कार्यवाही के भीतर कभी-कभी राजनीति के साथ साहित्य का भी संवाद सुनाई देता था।

“हम गलत काम करते हैं” या “जब हमसे गलती होती है”?

इसी साहित्यिक-संसदीय संबंध का सबसे रोचक उदाहरण 1965 के बिहार विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा से जुड़ा है।

कृष्ण बल्लभ सहाय पंचायती राज के महत्व पर बोल रहे थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता और विकास को जनता के निकट ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा-**“हम गलत काम करते हैं...”**

सुधांशु जैसे भाषा-सचेत अध्यक्ष के लिए यह वाक्य सहज नहीं था।

उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया



माननीय कृष्ण बल्लभ बाबू परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष श्यामा प्रसाद सिंह के साथ विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु प्रसन्न मुद्रा में



जन्म-दिवस के अवसर पर तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु, नन्द किशोर लाल, वैद्यनाथ मेहता तथा हरिदेव नारायण सिंह के साथ कृष्ण बल्लभ बाबू

स्वाभाविक रूप से इतनी लंबी और तथ्यप्रधान रिपोर्ट के दौरान कुछ सदस्य आपस में धीमी आवाज में बातचीत करने लगे। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सुधांशु ने सदन को संबोधित करते हुए कहा-“यदि सदस्य मुद्रित भाषण सुनना आवश्यक नहीं समझते हैं, तो भी शांत रहना आवश्यक है।” इस वाक्य में उनकी पूरी अध्यक्षीय शैली दिखाई देती है। न कोई कठोरता, न कोई अनावश्यक भाषण-केवल एक ऐसा वाक्य जिसने सदन की मर्यादा की याद दिला दी।

साहित्य की दोस्ती सदन के बाहर भी

सुधांशु और कृष्ण बल्लभ सहाय का संबंध केवल विधानसभा तक सीमित नहीं था। कृष्ण बल्लभ सहाय जब मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया जाते थे, तब वे कला भवन के कार्यक्रमों में भी शामिल होते थे। उपलब्ध संस्मरण में दोनों के कला भवन के एक कार्यक्रम में साथ दिखाने वाले चित्र का उल्लेख है।

कला भवन, पूर्णिया से जुड़ा वह सांस्कृतिक संसार जहाँ साहित्य और सार्वजनिक जीवन के अनेक व्यक्तित्व एक मंच पर आते थे।

और कहा-“आप ऐसा नहीं कहें कि ‘हम गलत काम करते हैं’। आप यह कहें कि ‘जब हमसे गलती होती है।’”

यह केवल भाषा-सुधार नहीं था। यह उस अध्यक्ष की दृष्टि थी जो सार्वजनिक जीवन में शब्दों की जवाबदेही को समझता था।

कृष्ण बल्लभ सहाय ने भी इसे सहजता से स्वीकार किया और अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। इस छोटे-से प्रसंग में लोकतांत्रिक संवाद की एक सुंदर तस्वीर दिखाई देती है-मुख्यमंत्री अपनी बात रखता है, अध्यक्ष भाषा की सूक्ष्मता पर ध्यान दिलाता है और मुख्यमंत्री उसे स्वीकार करता है।

2 फरवरी 1966: “यदि भाषण सुनना आवश्यक नहीं, तो मौन रहना आवश्यक है”

सुधांशु की अध्यक्षीय शैली का एक और यादगार प्रसंग 2 फरवरी 1966 का बताया जाता है। कृष्ण बल्लभ सहाय राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सदन में पढ़ रहे थे। रिपोर्ट में सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और बड़ी संख्या में आँकड़े थे।

1967 में कृष्ण बल्लभ सहाय चुनाव हार गए और इसके बाद उन्होंने हजारीबाग से ‘छोटानागपुर दर्पण’ का प्रकाशन फिर शुरू किया। इसके बावजूद सुधांशु और सहाय के बीच साहित्यिक संवाद बना रहा। यह मित्रता बताती है कि राजनीति समाप्त हो सकती है, लेकिन साहित्यिक संवाद उससे कहीं अधिक दीर्घजीवी होता है।

1969: हिन्दी ग्रंथ अकादमी से जुड़ाव

डॉ. सुधांशु की साहित्यिक-यात्रा विधान सभा अध्यक्ष पद समाप्त होने के बाद भी जारी रही। 1969 में उन्हें बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक वे बिहार में हिन्दी के उन प्रमुख व्यक्तित्वों में शामिल हो चुके

थे जिन्होंने लेखन के साथ-साथ संस्थाओं के माध्यम से भी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान दिया।

उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं-

● भ्रातृप्रेम ● मातृप्रेम ● गुलाब की कलियाँ ● रसरंग ● वियोग ● काव्य में अभिव्यंजनावाद ● जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत ● हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास ● प्राचीन भारतीय आर्य राजवंश ● साहित्यिक निबंध ● संपर्क भाषा हिन्दी

एक साहित्यकार जो सदन में भी साहित्य खोज लेता था

डॉ. सुधांशु के जीवन का सबसे सुंदर पक्ष शायद यही था कि उन्होंने अपनी साहित्यिक दृष्टि को कभी सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया। साहित्य ने उन्हें सिखाया था कि शब्दों के पीछे अर्थ होता है। शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्हें सिखाया कि सार्वजनिक जीवन में प्रतिबद्धता आवश्यक है और विधानसभा ने उन्हें अवसर दिया कि इन तीनों अनुभवों को लोकतांत्रिक संस्था की सेवा में लगाया जा सके। इसलिए जब वे किसी सदस्य की भाषा सुधारते थे, तो वह केवल व्याकरण नहीं था। जब वे सदस्यों से शांत रहने का आग्रह करते थे, तो वह केवल अनुशासन नहीं था और जब वे सदन का संचालन करते थे, तो वह केवल नियमों का पालन नहीं था। इन सबके पीछे एक साहित्यकार की वह चेतना थी जो भाषा को विचार और विचार को सार्वजनिक उत्तरदायित्व मानती थी।

इसीलिए उनका व्यक्तित्व किसी एक परिचय में समेटना कठिन है। वे उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से निकलकर राष्ट्र-निर्माण, शिक्षा, साहित्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया।

एक विरासत: साहित्य, शिक्षा और संसदीय मर्यादा

सुधांशु का जीवन तीन बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है-

- **साहित्य**- जहाँ उन्होंने हिन्दी आलोचना, कथा और लोक-साहित्य पर लिखा।
- **शिक्षा**- जहाँ उन्होंने अध्यापन किया और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े।
- **लोकतांत्रिक संस्थाएँ**- जहाँ उन्होंने बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सदन की गरिमा और कार्यवाही की मर्यादा को महत्व दिया।

सुधांशु को याद करने का सबसे सुंदर तरीका

डॉ. लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' को याद करने का अर्थ केवल उनके जन्म और मृत्यु की तारीख याद करना नहीं है। उन्हें याद करना है- जब कोई साहित्यकार सत्ता के केंद्र में बैठकर भी साहित्य से अपना रिश्ता बनाए रखे; जब विधान सभा अध्यक्ष किसी मुख्यमंत्री की भाषा सुधार सके और मुख्यमंत्री उसे सहजता से स्वीकार करे; जब सदन में तनाव को कठोरता के बजाय शब्दों की गरिमा से नियंत्रित किया जाए; जब किसी साहित्यकार को लगे कि पुस्तकालय से बाहर भी साहित्य का जीवन है और वह कला भवन जैसी संस्था खड़ी करे; और जब लोकगीतों में उसे किसी समाज की आत्मा सुनाई दे।

सुधांशु ने लिखा- **“ग्राम-गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं।”**

शायद उनके अपने जीवन पर भी यही बात लागू होती है-

उनकी राजनीति में भी हृदय था,
उनकी शिक्षा में भी संवेदना थी,
उनकी अध्यक्षता में भी भाषा थी,
और उनके साहित्य में भी जीवन था।

गुमनाम शहीद

मनीष कुमार पंकज

स० प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा



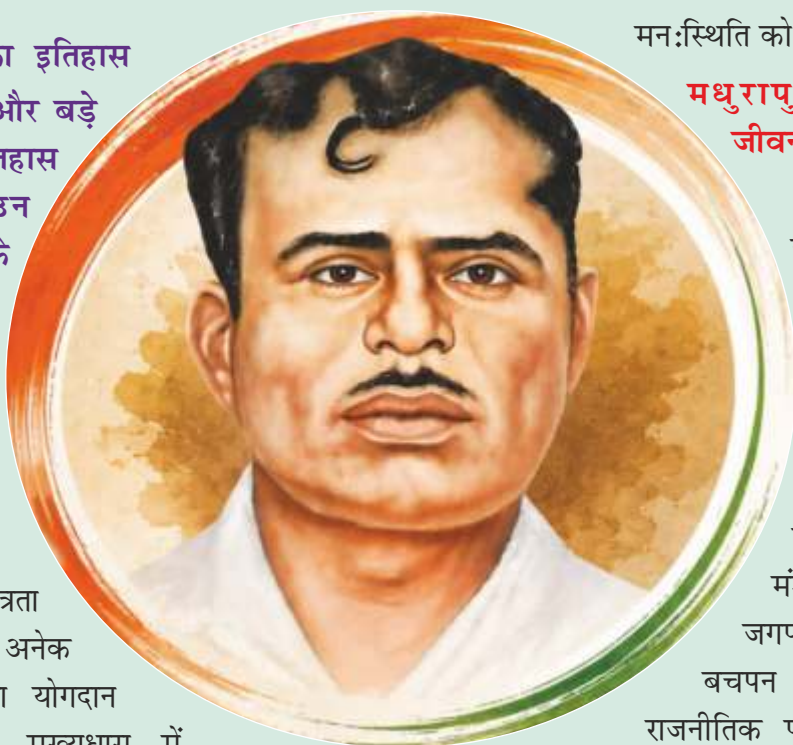
अमर शहीद रामफल मंडल

भारत छोड़ो आंदोलन के युवा क्रांतिकारी की अमर शौर्यगाथा

“आजादी का इतिहास

केवल बड़े नेताओं और बड़े आंदोलनों का इतिहास नहीं है; यह उन अनगिनत युवाओं के साहस की कहानी भी है, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी।”

बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक ऐसे नाम हैं, जिनका योगदान राष्ट्रीय इतिहास की मुख्यधारा में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, लेकिन स्थानीय स्मृति और जनमानस में वे आज भी जीवित हैं; रामफल मंडल ऐसा ही एक नाम है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी क्षेत्र के मधुरापुर गांव में जन्मे इस युवा क्रांतिकारी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और मात्र 19 वर्ष की आयु में भागलपुर केंद्रीय कारागार में फांसी पर चढ़ गए। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति के बलिदान की कहानी नहीं है। यह उस दौर के ग्रामीण बिहार की राजनीतिक चेतना, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध आक्रोश और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले युवाओं की



मनःस्थिति को भी सामने लाती है।

मधुरापुर से शुरू हुई जीवन-यात्रा

रामफल मंडल का जन्म 6 अगस्त 1924 को सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना अंतर्गत मधुरापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोखुल मंडल, माता का नाम गरबी मंडल एवं पत्नी का नाम जगपतिया देवी था। उनका बचपन किसी राजपरिवार, बड़े राजनीतिक परिवार अथवा स्थापित स्वतंत्रता सेनानी के घर में नहीं बीता था। वे ग्रामीण समाज से आए एक सामान्य युवा थे। यही तथ्य उनके व्यक्तित्व को और महत्वपूर्ण बनाता है—क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन केवल शहरों के शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं था; गांवों के सामान्य युवक भी उसके सक्रिय सहभागी बने।

जब देश ने ‘भारत छोड़ो’ का आह्वान सुना

8 अगस्त, 1942 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। महात्मा गांधी का स्पष्ट संदेश था—“करो या मरो।” इस आह्वान का प्रभाव देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा।

बिहार में भी आंदोलन ने तीव्र रूप ग्रहण किया। सरकारी संस्थानों, पुलिस थानों और प्रशासनिक केंद्रों के बहिष्कार तथा औपनिवेशिक शासन के प्रतीकों को चुनौती देने की घटनाएं अनेक स्थानों पर हुईं।

सीतामढ़ी और बाजपट्टी क्षेत्र भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। रामफल मंडल इसी उथल-पुथल के दौर में सक्रिय हुए। रामफल मंडल को 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले और बाद में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी के रूप में नामित किया गया है।

बाजपट्टी की घटना और अंग्रेजी शासन से सीधा टकराव

रामफल मंडल के जीवन का सबसे निर्णायक अध्याय 24 अगस्त 1942 से जुड़ा है। बाजपट्टी चौक पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारों लोग जमा हुए। बाजपट्टी क्षेत्र में औपनिवेशिक प्रशासन के दमन के विरुद्ध उनका संघर्ष हिंसक टकराव में बदल गया। इसी दौरान औपनिवेशिक प्रशासन के अनुमंडल पदाधिकारी पर रामफल मंडल ने गड़से से वार किया। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और एक अन्य कर्मी को भी मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद रामफल मंडल भूमिगत हो गए।



पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। कुछ समय के लिए वे नेपाल भी गए, लेकिन बाद में अपने गाँव लौट आए। 1 सितंबर, 1942 को रामफल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले सीतामढ़ी जेल और बाद में भागलपुर केंद्रीय कारागार भेजा गया। उन पर हत्या का मुकदमा चला। अदालत में उन्होंने घटना से इनकार नहीं किया। उनसे अनुमंडल पदाधिकारी पर हमला करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कथित रूप से कहा—“हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा।”



यह वह समय था जब ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन का सहारा ले रहा था। जेल, मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और फांसी औपनिवेशिक शासन के प्रमुख दमनकारी औजार थे। रामफल मंडल भी इसी दमनात्मक व्यवस्था के शिकार बने। 23 अगस्त 1943 को भागलपुर केंद्रीय कारागार में उन्हें फाँसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 19 वर्ष 17 दिन थी। जिस उम्र में आज का युवा अपने भविष्य, शिक्षा और रोजगार के सपने देखता है, उस उम्र में रामफल मंडल ने अपने सामने मृत्यु को स्वीकार किया। उनका जीवन अत्यंत छोटा था, लेकिन उनका बलिदान उनकी उम्र से कहीं बड़ा बन गया।

एक युवा क्रांतिकारी की सबसे बड़ी शक्ति-निर्भीकता

रामफल मंडल की कहानी की सबसे खास बात उनकी कम उम्र और उनका साहस है। वे न तो किसी बड़ी सेना के सेनापति थे और न ही उनके पास आधुनिक हथियार या सत्ता थी। उनके पास केवल देश को आजाद देखने की इच्छा और अंग्रेजी शासन का विरोध करने का साहस था। उनकी कहानी बताती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में केवल बड़े नेता ही नहीं, बल्कि गांवों के सामान्य युवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि भारत की आजादी केवल नेताओं के प्रयासों से नहीं मिली। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने जेलें भरीं, अत्याचार सहे, गोलियां खाईं और अपने प्राणों का बलिदान दिया।

बिहार के 'भगत सिंह' : रामफल मंडल

रामफल मंडल बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे साहसी युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी निर्भीकता, देशभक्ति और बलिदान के कारण लोग उन्हें 'बिहार का भगत सिंह' भी कहते हैं। जिस तरह भगत सिंह ने युवावस्था में देश की आजादी को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया, उसी तरह रामफल मंडल ने भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। भगत सिंह राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक बने, वहीं रामफल मंडल बिहार के जनमानस और स्थानीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहस और प्रतिरोध के प्रतीक बनकर उभरे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भारत की आजादी केवल बड़े नेताओं के प्रयासों से नहीं, बल्कि गांव-गांव के उन अनगिनत युवाओं के संघर्ष और बलिदान से भी मिली, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामफल मंडल का बलिदान बिहार की स्वतंत्रता संग्राम की गौरवपूर्ण विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है।



सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव

रामफल मंडल की स्मृति के लिए वर्ष 2026 विशेष महत्व रखता है।

स्मारक डाक टिकट : 23 अगस्त, 2026 को पटना में रामफल मंडल की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि डाक टिकट किसी व्यक्ति की स्मृति को राष्ट्रीय संचार और सार्वजनिक इतिहास के प्रतीकात्मक क्षेत्र में स्थान देता है।

मधुरापुर में स्मृति और प्रतिमा : वर्ष 2026 में उनके शहादत दिवस के अवसर पर मधुरापुर में उनकी छह फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई और उसके अनावरण के लिए समारोह आयोजित किया गया।

23 अगस्त को राजकीय समारोह : सितंबर 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के अमर आंदोलनकारी रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इस निर्णय ने उनकी स्मृति को स्थानीय आयोजनों से आगे बढ़ाकर राज्य के आधिकारिक स्मृति-परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

रामफल मंडल की कहानी को केवल सीतामढ़ी की एक स्थानीय घटना मानना उचित नहीं होगा। वे उस व्यापक स्वतंत्रता चेतना का हिस्सा थे, जो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंची थी। सीतामढ़ी के मधुरापुर के इस युवा ने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। सिर्फ 19 वर्ष की आयु में 23 अगस्त 1943 को भागलपुर केंद्रीय कारागार में उन्हें फांसी दी गई। रामफल मंडल की गाथा हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी केवल बड़े नेताओं के संघर्ष से नहीं, बल्कि गांवों के अनगिनत युवाओं के साहस और बलिदान से भी मिली। वे सीतामढ़ी ही नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं।



विधानसभा में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते विस अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह व उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव।

विस अध्यक्ष ने रामफल को दी श्रद्धांजलि

पटना। विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और बाजबख्शी संग्राम के नायक रामकृष्ण मंडल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस अमर सपूत ने 1942 के ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फौका था। अंग्रेज अफसरों और पुलिस बल द्वारा स्थानीय जनता पर बुरा अत्याचार किए जा रहे थे, तब रामकृष्ण मंडल ने ब्रिटिश अधिकारियों से सीधा मुकाबला किया था।



सात अमर क्रांतिकारियों का बलिदान युवाओं
के लिए प्रेरणास्रोत : डॉ. प्रेम कुमार

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible][illegible]

‘मन की बात’ प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है : प्रेम कुमार

संघटन, जलपान, 'हत्या' में प
 सत्ता' नुसार के दृष्ट विचारों पर अर्थ
 सा, प्रेम कुमार ने कहा कि वह अयोध्या
 प्रकरण में और आम जनता के बीच
 संघटन पर एक प्रभावी व सशक्त माध्यम
 है। नन की बात को उद्देश्य केवल
 संघटन पर नहीं, बल्कि जहाँ भारतीय
 को राष्ट्र-निर्माण और स्व-सेवा से
 जुड़ने के अवसर प्राप्त हो सके।
 संघटन के ही माध्यम, राष्ट्र के
 गौरवशाली इतिहास को प्रेम कुमार तुलना
 की समन्यक इतिहास को प्रेम कुमार तुलना
 आज के समय की महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति
 है। अयोध्या संघटन में सम्मिलित करने
 सोच और 'मी सी के लिए कुछ कर
 सकता हूँ' की भावना को राजपुत्र करने है।

पश्चिम बंगाल विस अध्यक्ष
से मिले स्पीकर

[illegible][illegible]

विधानसभा समितियों की बैठक में वरीय अधिकारी उपस्थित होंगे

पदार्थ, वैयक्तिकता, ब्रह्मा और विशाल
 विशालकाय की अवस्था थी, जिस कारण
 वे विश्व कायको भी शास्त्रों की भाँति ही
 ही विशालता के लक्षणों में समर्थित
 विशालता के लक्षणों में समर्थित, अतः
 शास्त्रों, शास्त्रों की अनुसंधानों का
 समर्थन ही विशालता के लक्षणों में समर्थित
 विशालता के लक्षणों में समर्थित, अतः
 शास्त्रों, शास्त्रों की अनुसंधानों का
 समर्थन ही विशालता के लक्षणों में समर्थित
 विशालता के लक्षणों में समर्थित, अतः
 शास्त्रों, शास्त्रों की अनुसंधानों का
 समर्थन ही विशालता के लक्षणों में समर्थित

[illegible][illegible]

लंबित आशवासनों को
निपटाने का निर्देश

[illegible]

तिरंगा हमारी आन, बान और शान
का प्रतीक : डॉ. प्रेम कुमार

तपविना दादुमा भूति

[illegible][illegible]

पुष्पावली की ओर मुड़ी के तुरन्त मैं भाग आया और निश्चित भाग के सम्बन्ध के साथ मैत्री में ओर बढ़ा। मैत्रिय भाग राष्ट्रीय एकता और एक भाग, एक भाग को पकड़ कर जो और समझू करती है। उन्होंने मुझसे भी अतिरिक्त के जैसा की जोर में मुझे का आश्चर्य का अनुभव हुआ था कि मैत्रिय का सम्बन्ध, पक्षपात, संभल, सम्मान, शक्ति, सम्बन्ध सम्मान और एक निष्पक्ष के भी निश्चिती (निष्पक्ष ही नहीं) उपलब्ध है। उन्होंने कहावतों में उल्लास और अनुशासन के साथ मैत्रिय कहावतों में एक लेखक राष्ट्रीय एकता और आश्चर्य को समझू करती है संभव होने को अतिरिक्त की।

देशभक्ति गीतों से गुंजा विधानसभा सभागार

[illegible][illegible]

विषय सूची

यूएन डेवेलपमेंट प्रोग्राम की ओर से है। यह बहुत अधिक शक्तिशाली और सम्प्रभुत्वपूर्ण को मानने का राष्ट्रीय प्रयास है। राजभाषा ने कहा कि गौरव, धूम और सामरिक उपलब्धियों के माध्यम से देशवासिनों को एकजोड़ना ही राष्ट्रवाद का सही अर्थ है।

[illegible]

प्रशांत किशोर ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली

पटना, बिहार: सांख्यीय विध संघ से सम्बन्धित विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधान सभा में कहा कि बिहार सरकार के अग्रणी डॉ. जिन कुमार ने उन्हें सदस्यता प्रदान की। अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह हुआ।

■ जनसंख्या के हवा की कमी
प्रमुखता से रहने :
प्रदेशीय किराये

और नज़ाफ़ के हाक की बात प्रमुख रहें। पीके ने कहा कि उस सदन सदस्य बनकर, विधायक बनकर, सांसद बनकर, अनुसूचित जाति मित्र, किसान, लालू प्रसाद केदार या सम्यकनाथ रासमन और सुशील मोदी जैसे नेता से अलग-थलग, मोल की बात करें। समाज और राज विचारके लिए अपने जीवन के साथ सभी मिल करते पुरी से विचारकों की दिशादर्शक प्रभाव की निहाल बड़ी विधायी पीठ है। लोकसभा के लिए एक पीठ तक रहें हैं, लोक से पूरे विचार से विचारकों के अलग-थलग प्रभाव

अनोखी पहल

नन्द किशोर सिंह
संपादन सलाहकार



जन्मदिवस पर अनोखी पहल



जन्म दिवस के अवसर पर गौ माता को हरा चारा और फल अर्पित कर गौ सेवा एवं संरक्षण के संकल्प को दृढ़ करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

05 अगस्त, 2026 का दिन बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के लिए केवल जन्मदिवस का अवसर नहीं, बल्कि सेवा और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का दिन रहा। उन्होंने अपने जन्मदिवस को व्यक्तिगत उत्सव तक सीमित रखने के बजाय समाज, पर्यावरण और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदना से जोड़ते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मानपुर स्थित गौ रक्षणी का दौरा कर गौ माता को हरा चारा एवं फल अर्पित किए और गौ सेवा एवं संरक्षण के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ किया। उन्होंने कहा कि

भारतीय संस्कृति में गौ माता श्रद्धा, सेवा और समृद्धि का प्रतीक हैं तथा उनका संरक्षण एवं संवर्द्धन हम सभी का नैतिक दायित्व है।

जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों एवं मातृशक्ति को सम्मानित कर उनके प्रति सम्मान और आत्मीयता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने



कहा कि उनके लिए जन्मदिवस का वास्तविक उत्सव समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना और मानव सेवा के संकल्प को और मजबूत करना है।

इसी क्रम में गया जी के गांधी मैदान में वृक्षारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।



जन्मदिवस पर सेवा, सम्मान, गौ संरक्षण और वृक्षारोपण के इन प्रयासों ने एक ऐसा संदेश दिया कि सच्चा उत्सव वही है, जो स्वयं की खुशी को समाज और प्रकृति की भलाई से जोड़ दे।

जन्म दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों एवं मातृशक्ति को सम्मान अर्पित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

आत्मनिर्भर बेटियाँ

आनन्द शर्मा
अध्यक्षीय कार्यालय



शिक्षा से आगे, आत्मनिर्भरता तक पहुँचे बेटियों का सफर



बेटियों को शिक्षित करना महिला सशक्तीकरण की शुरुआत है, लेकिन उन्हें कौशल, रोजगार और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराना ही महिला सशक्तीकरण को वास्तविक अर्थ देता है। दिनांक- 14 अगस्त, 2026 को बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गौतम बुद्ध महिला कॉलेज, गया जी के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सेमिनार में महिला शिक्षा को इसी व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ने पर जोर दिया।

‘बिहार में महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण: अवसर और चुनौतियाँ’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि एक बेटी की शिक्षा का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ उससे सशक्त होती हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सरकारी प्रयासों ने बिहार की बेटियों के लिए

शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज की शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि बदलती दुनिया के लिए बेटियों को सक्षम बनाना होना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, महाविद्यालयों में करियर काउंसलिंग, कौशल विकास, इंटरनशिप और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की बात कही।

उन्होंने छात्राओं से शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास को जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ने तथा सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उनके संबोधन का संदेश स्पष्ट था—जब शिक्षा आत्मनिर्भरता से जुड़ेगी और आत्मनिर्भरता नेतृत्व में बदलेगी, तभी महिला सशक्तीकरण की यात्रा पूरी होगी।

कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष ने **“हर बेटी को शिक्षा, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी को अवसर और हर बेटी को सम्मान”** के संकल्प को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी आधी आबादी को मिले अवसरों से तय होती है।

पर्वत पुरुष

राकेश कुमार
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

पहाड़ में रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी से बिहार निर्माण की राह मजबूत करने की प्रेरणा



काटकर ऐसा रास्ता बनाया, जिसने गहलौर और आसपास के ग्रामीणों का जीवन आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि मांझी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बदलाव लाने के लिए बड़े पद या बड़े साधनों से अधिक जरूरी बड़ा संकल्प और निरंतर कर्म है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि दशरथ मांझी का संघर्ष आज के विकास की सोच को भी दिशा देता है। विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएँ आम लोगों तक पहुँचें और उनका जीवन अधिक सुगम बने।

गहलौर की पहाड़ियों में दशरथ मांझी ने वर्षों की मेहनत से केवल एक रास्ता ही नहीं बनाया, बल्कि यह साबित भी किया कि दृढ़ संकल्प और जनकल्याण की भावना के सामने बड़ी से बड़ी बाधा भी टिक नहीं सकती। दिनांक-17 अगस्त, 2026 को गया जी जिले के गहलौर में दशरथ मांझी महोत्सव के अवसर पर बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने 'माउंटेन मैन' को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन को अदम्य साहस, संघर्ष, श्रम और जनसेवा की प्रेरणादायी गाथा बताया।

माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि दशरथ मांझी के पास न तो आधुनिक मशीनें थीं, न पर्याप्त आर्थिक संसाधन था। यदि कुछ था तो केवल मजबूत इच्छाशक्ति और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। वर्षों तक निरंतर परिश्रम कर उन्होंने पहाड़ को

युवाओं के लिए दशरथ मांझी के जीवन को संदेश बताते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लक्ष्य, अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की राह है। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा और कौशल को व्यक्तिगत सफलता के साथ-साथ समाज और बिहार के विकास से जोड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने दशरथ मांझी के जीवन से तीन मंत्र-**संकल्प मजबूत रखें, परिश्रम को साथी बनाएं और जीवन को जनसेवा से जोड़ें**-अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “दशरथ मांझी जी ने पहाड़ में रास्ता बनाया था। आज हमारी जिम्मेदारी है कि उनके संघर्ष और संकल्प से प्रेरणा लेकर विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बिहार के निर्माण का रास्ता और अधिक मजबूत करें।”

अभिनन्दन समारोह

केशव किशोर उर्फ राजा पाण्डेय
अध्यक्षीय कार्यालय



हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी



दिनांक-27 अगस्त, 2026 को बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित 500 क्षमता वाले सभागार में जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान एवं अंतरराष्ट्रीय हिन्दी परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री नंदकिशोर यादव का भव्य अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया। समारोह केवल अभिनन्दन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार और उसकी समृद्ध परंपरा को समर्पित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, काव्य गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ।

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की भावना, संस्कृति और अभिव्यक्ति की सशक्त पहचान है। गांव की संस्कृति और

संतों की वाणी से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तथा साहित्य की समृद्ध परंपरा तक हिंदी ने समाज को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने अपनी मातृभाषा को सम्मान के साथ अपनाने और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री नंदकिशोर यादव ने हिंदी को साहित्य और संस्कृति के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई, ताकि हिंदी भाषी समाज में अपनी भाषा के प्रति गौरव की भावना और मजबूत हो सके।

समारोह में 'राजभाषा दर्पण' स्मारिका का विमोचन किया गया तथा हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री आलोक राज सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हिंदी की विरासत और उसके विस्तार पर विचार व्यक्त किए।

विविध कार्यक्रमों की झलक

01 अगस्त, 2026 को गया जी के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में तीन दिवसीय 'गया जिला स्तरीय किड्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता' का बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। उन्होंने नन्हे खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए विश्वास जताया कि यही बच्चे आगे चलकर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।



1 अगस्त, 2026 को गया जी विधान सभा क्षेत्र के पंचयतिया अखाड़ा, लाल बाबा पहाड़ के निकट हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष 'सीड बॉल' (Seed Ball) वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सहभागिता की और स्वयं सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण किया। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील करते हुए आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।



8 अगस्त, 2026 को कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के पावन अवसर पर ज्ञान भवन में आयोजित "समरसता संकल्प अभियान" के शुभारंभ कार्यक्रम में बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी का सामाजिक समरसता, समानता, बंधुत्व और मानवता का संदेश आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता है। उनके महान आदर्शों और विचारों को जन-जन तक पहुँचाना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।



11 अगस्त, 2026 को पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री रथिंद्र बोस जी से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक संवाद हुआ। डॉ. प्रेम कुमार ने इस आत्मीय स्वागत एवं सम्मानपूर्ण मुलाकात के लिए श्री रथिंद्र बोस जी का हृदय से आभार व्यक्त किया।



12 अगस्त, 2026 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गया जी टाउन विधान सभा क्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला समाहरणालय से शुरू होकर गांधी मंडप तक आयोजित इस राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत यात्रा में बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता, त्याग, शौर्य और गौरव का परम प्रतीक है।

इस भव्य यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राओं, स्काउट एवं गाइड और जीविका दीदियों सहित बड़ी संख्या में आमजनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने राष्ट्रप्रेम की भावना को और अधिक सशक्त किया।

दिनांक-14 अगस्त, 2026 को आस्ट्रेलिया से आए सम्मानित अतिथियों ने माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में आत्मीय मुलाकात की।

इस अवसर पर बिहार और आस्ट्रेलिया के बीच आपसी सहयोग, संबंधों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। इस दौरान माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार भी उपस्थित रहे।



बिहार विधान परिषद् के उप सभागार में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावविभोर कर दिया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रप्रेम की भावना का यह सुंदर संगम अत्यंत प्रेरणादायी है।



माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार विधान सभा परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रतीक तिरंगे को नमन किया। माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा, माननीय विधायकगण एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा उपस्थित रहे।

दिनांक-16 अगस्त, 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के युग पुरुष और सर्वप्रिय राजनेता थे। उन्होंने माननीय वाजपेयी को राजनीति में शुचिता, लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रभक्ति और मानवीय संवेदनाओं के अद्भुत समन्वय के प्रतीक बताया।



दिनांक-17 अगस्त, 2026 को बिहार विधान सभा के अध्यक्षीय कार्यालय कक्ष में माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार द्वारा उपचुनाव में बांकीपुर से नवनिर्वाचित माननीय विधायक श्री प्रशांत किशोर जी को शपथ दिलाये जाने के पश्चात शुभकामनाएं एवं बधाई दी गयी।



बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर, श्रद्धेय बी.पी. मंडल जी की जयंती पर दिनांक-25 अगस्त, 2026 को उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए उनका समर्पित जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान और अधिकार दिलाने की दिशा में उनके विचार और योगदान अविस्मरणीय हैं।

गया जी अंतर्गत महारानी पैलेस में दिनांक-25 अगस्त, 2026 को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अलौकिक रक्षा बंधन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रजापति ब्रह्माकुमारी से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार।



बिहार विधान सभा

स्वतंत्रता दिवस समारोह

देशभक्ति गायन प्रतियोगिता

दिनांक :- 15 अगस्त, 2026

ग्रुप-A

ग्रुप-B

ग्रुप-C



रीणा रानी



सविता पाण्डेय



शीला कुमारी



पूनम



मोनिका रानी



पुनिता कुमारी



आरती कुमारी



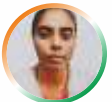
नीलम कुमारी



पूजा प्रिया



सुजाता देवी



नीतू कुमारी-II



अनुप्रिया कुमारी



गुड़िया कुमारी



लूसी कुमारी



ब्यूटी कुमारी



सुब्बी कुमारी



बाबुल कुमारी



सहाना खातून



रानी



कुमारी मधुराय



अंजली कुमारी



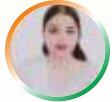
नितिका मंडल



प्रियांशु कुमारी



तब्बसुम खातून



कंचन कुमारी



पल्लवी गुप्ता



अदिति सोनल



गार्गी मिश्रा



प्रियंका कुमारी



प्रियंका सिंह



मंजू कुमारी



निशु कुमारी



योशिता पटवर्धन



कनुप्रिया मिश्रा



भावना कुमारी



रूशदा रहमान



कल्पना कुमारी



अंजु कुमारी



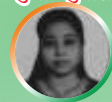
पूजा कुमारी



पूजा कुमारी



प्रतिभा कुमारी



महिमा प्रभाकर



शालु कुमारी



बबली कुमारी



अन्नु शौर्या



प्रियंका कुमारी जायसवाल



नीलम कुमारी



मंजू टुडू



अंशु कुमारी



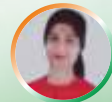
राधा रानी



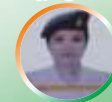
नीतू कुमारी-1



रिंकी कुमारी-II



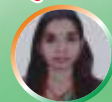
अनुष्का सिंह



साधना कुमारी



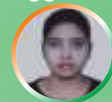
कुसुम लता



नेहा कुमारी



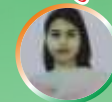
सीमा कुमारी



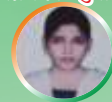
प्रियंका कुमारी



सुशीला कुमारी



शिवानी कुमारी



तरन्नुम खातून



शारदा देवी



निशा भारती



बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राज्यपाल, बिहार लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) श्री सैयद अता हसनैन को सम्मानित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा



बिहार विधान सभा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर गया जी से आए छात्रों द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन करते हुए

‘मन की बात’ : प्रधानमंत्री

(नशामुक्ति, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और ‘वोकल फॉर लोकल’)

30 अगस्त, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में किसान एवं महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों तथा जनभागीदारी की शक्ति को प्रमुखता से रेखांकित किया।

भारतीय
इतिहास को आसान
तरीके से जानना - मुंबई
के कृष्ण शेषाद्रि द्वारा बनाई गई
BharatRajya.com वेबसाइट का
उल्लेख किया, जिससे अलग-
अलग वर्षों में भारत के विभिन्न
हिस्सों पर शासन करने वाले
शासकों की जानकारी
मिलती है।

छोटे प्रयास,
बड़ा बदलाव -
सामाजिक भागीदारी,
entrepreneurship और
स्थानीय स्तर की
पहल मिलकर देश में
बड़े बदलाव ला
सकती हैं।

नशामुक्त युवा,
विकसित भारत -
युवाओं से Drug-Free
Youth for Developed
India अभियान को आगे
बढ़ाने और नशे के खिलाफ
जागरूकता फैलाने की
अपील।

युवाओं और
सोशल मीडिया की
भूमिका - युवाओं तथा
content creators से
नशामुक्ति जैसे सामाजिक
विषयों पर सकारात्मक और
जागरूकता फैलाने वाला
कंटेंट बनाने का
आग्रह।

हर घर तिरंगा
और देशभक्ति - अगस्त
के दौरान हर घर तिरंगा जैसे
अभियानों के माध्यम से
तिरंगा और राष्ट्रभक्ति से
जुड़ने का संदेश।

PM
SVANidhi और
महिला सशक्तिकरण -
रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबार
करने वालों के लिए PM
SVANidhi की चर्चा करते
हुए बताया कि बड़ी संख्या में
महिलाएं इसका लाभ
लेकर आत्मनिर्भर बन
रही हैं।

कृषि में नए
प्रयोग - किसानों द्वारा
एवोकाडो की खेती जैसे नए
कृषि प्रयोगों का उल्लेख
किया और कृषि में नवाचार
को प्रोत्साहन

स्थानीय उत्पादों
को बढ़ावा - ‘वोकल
फॉर लोकल’ पर जोर देते
हुए स्थानीय उत्पादों को
खरीदने तथा स्थानीय
उद्यमियों को
मजबूत करने की
अपील।

ओडिशा की
महिलाएं और Eco-
Tourism - ओडिशा में
महिलाओं द्वारा पर्यावरण
संरक्षण के साथ आजीविका
के अवसर तैयार करने के
प्रयासों की
सराहना।

नागालैंड के
फूल उत्पादक किसान
-नागालैंड के floriculture
से जुड़े किसानों के प्रयासों
को सामने रखा, जिससे
स्थानीय स्तर पर खेती और
रोजगार की संभावनाएं
बढ़ रही हैं।



विधान प्रबोधनी



बिहार विधान सभा